संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947

विषय–सूची

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा			पृष्ठ
1.	संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार और प्रारम्भ	.....	1
2.	परिभाषायें	.....	2

अध्याय 2

ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन

3.	ग्राम सभा	.....	6
4.	निकाल दिया गया है	.....	6
5.	निकाल दिया गया है	.....	6

अध्याय 2–क

ग्राम पंचायक के सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली इत्यादि

5–क.	ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता	.....	6
5–ख.	निकाल दिया गया है	.....	8
6.	सदस्यता की समाप्ति	.....	8
6–क.	अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय	.....	8
7.	संशोधन एक्ट 2 सन् 1955 द्वारा निकाल दी गई है	.....	8
8.	जनसंख्या में परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगरपालिका आदि में सम्मिलित करने का प्रभाव	.....	9
9.	प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली	.....	9
9–क.	मत देने इत्यादि का अधिकार	.....	13
10.	ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना	.....	13

अध्याय 3

ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य

11. ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य 14

अध्याय 3–क

ग्राम पंचायत

11–क. ग्राम पंचायत का प्रधान और उप–प्रधान 15

11–ख. प्रधान का निर्वाचन 16

11–ग. उप–प्रधान का निर्वाचन और उसका कार्यकाल 17

11–घ. कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबन्ध 17

11–ङ. एक साथ दो पद धारण करने का अग्रेतर रोक 17

11–च. पंचायत क्षेत्र की घोषणा 18

12. ग्राम पंचायत 19

12–क. चुनाव की रीति 22

12–कक. प्रधान, उप–प्रधान और सदस्यों के भत्ते 22

12–ख. कृषि सम्पदा के लिये ग्राम पंचायत की बैठकें 23

12–खख. ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण 23

12–खग. निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध 23

12–खगक. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण 24

12–खगख. निकाल दिया गया है 25

12–खगग. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति 26

12–खगघ. किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियॉ 26

12–खगङ. अधिगृहीत परिसर से बेदखली 27

12–खगच. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति 27

12–खघ. निर्वाचन के सम्बन्ध में पदीय कर्तव्य भंग 28

12–ग. निर्वाचन को रद्द करने के लिये प्रार्थना–पत्र 29

12–घ. उप–प्रधान, सरपंच या सहायक सरपंच के निर्वाचन से सम्बन्धित विवाद 31

12–ङ. पद की शपथ 31

12–च. पद–त्याग 32

12—छ.	निकाल दिया गया है	.....	32
12—ज.	आकस्मिक रिक्ति	.....	32
12—झ.	निर्वाचन विषयों में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निषेध	.....	32
12—ञ.	प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति में प्रबन्ध	.....	32
12—ट	प्रधान और उप—प्रधान का कार्यकाल	.....	32
13.	निकाल दिया गया है	.....	33
14.	प्रधान, उप—प्रधान का हटाया जाना	.....	33
14—क.	अभिलेख आदि देने में चूक करने पर दण्ड	.....	33
14—ख.	उप—प्रधान का हटाया जाना	.....	33

अध्याय 4

ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन

15.	ग्राम पंचायत के कृत्य	.....	34
15—क.	योजना का तैयार करना	.....	38
16.	कृत्य जो कि किसी ग्राम पंचायत को समनुदेशित किये जा सकते हैं	.....	38
16—क.	अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चन्दा देने का अधिकार	.....	38
17.	सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों का अधिकार	.....	38
18.	सफाई के सुधार	.....	39
19.	स्कूलों तथा अस्पतालों का संधारण तथा सुधार	.....	40
19—क	निकाल दिया गया है	.....	41
20.	कई ग्राम पंचायतों के किसी समूह के लिये संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना करना या सड़क व पुल बनाना	.....	41
21.	सरकारी सेवकों की सहायता	.....	41
22.	ग्राम पंचायत द्वारा अभ्यावेदन तथा सिफारिश	.....	41
23.	कुछ कर्मचारियों के अवचार की जॉच करने तथा रिपोर्ट करने का अधिकार	.....	42
24.	मालिकों के लिये कर आय देयों की वसूली के लिये संविदा का अधिकार	.....	42

25.	कर्मचारी वर्ग	.....	42
25—क.	सेक्रेटरी	.....	44
26.	ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार	.....	44
27.	अधिभार	.....	44
28.	सदस्य तथा सेवक, जन सेवक होंगे	.....	45
28—क.	भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना	.....	45
28—ख.	भूमि प्रबन्धक समिति का कार्य	.....	46
28—ग.	भूमि प्रबन्धक समिति के संविदा आदि से भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य या अधिकारी कोई लाभ नहीं उठायेंगे	.....	47
29.	समितियॉ	.....	47
30.	संयुक्त समिति	.....	48
31.	प्रतिनिधायन	.....	49

अध्याय 5

भूमि का अर्जन, ग्राम निधि तथा सम्पत्ति

32.	ग्राम निधि	.....	49
32—क.	वित्त आयोग	.....	51
33.	भूमि अर्जित करने का अधिकार	.....	52
34.	ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्ति	.....	53
35.	दावों का निस्तारण	.....	53
36.	उधार लेने की शक्ति	.....	53
37.	करों तथा शुल्क का आरोपण	.....	54
37—क.	कर, उपशुल्क अथवा शुल्क लगाये जाने के विरूद्ध अपील	.....	56
37—ख.	कर और आदेय मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किये जा सकेंगे	.....	56
37—ग.	कर उपशुल्क अथवा शुल्क की छूट	.....	57
38.	आदेयों की वसूली तथा निधि और लेखों की अभिरक्षा	.....	57
39.	न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पर भारित होंगे	.....	57
40.	लेखा परीक्षा	.....	40
41.	ग्राम पंचायत का बजट	.....	41

अध्याय 6

न्याय पंचायत

42.	न्याय पंचायत की स्थापना	.....	58
43.	पंचों की नियुक्ति व उनका कार्यकाल	.....	59
44.	सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन	.....	59
45.	पंच का कार्यकाल	.....	60
46.	निकाल दिया गया	.....	60
47.	पंचों का त्याग–पत्र देना	.....	60
48.	निकाल दिया गया	.....	60
49.	न्याय पंचायत की बैंच	.....	60
50.	आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना	.....	61
50–क.	सरपंच के अधिकार	.....	61
51.	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	.....	61
52.	न्याय पंचायतों द्वारा हस्तक्षेप	.....	62
53.	शान्ति बनाये रखने के लिये प्रतिभूति	.....	63
54.	शास्ति	.....	63
55.	अभियोग में हस्तक्षेप	.....	64
56.	न्यायालयों द्वारा न्याय पंचायत को अभियोगों का स्थानान्तरण किया जाना	.....	64
57.	अभियोग का सरसरी तौर से खारिज किया जाना	.....	65
58.	न्याय पंचायत द्वारा मुकदमों का न्यायालयों को स्थानान्तरित किया जाना	.....	65
59.	कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न्याय पंचायत द्वारा न किया जायेगा	.....	65
60.	फरियादी को प्रतिकर	.....	66
61.	अभियुक्त को प्रतिकर	.....	66
62.	अपराधियों का परीक्षण पर मुक्त किया जाना	.....	66
63.	मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित मुकदमों की जॉच	.....	67
64.	दीवानी के मुकदमे में अधिकार क्षेत्र की सीमा	.....	67
65.	निकाल दिया गया	.....	67
66.	न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन	.....	67
67.	दीवानी के मुकदमे में सम्पूर्ण दावा सम्मिलित होना	.....	68

68.	परिसीमा	.....	68
69.	न्याय पंचायत के निर्णय का प्रभाव	.....	69
70.	निकाल दिया गया	.....	69
71.	निकाल दिया गया	.....	69
72.	निकाल दिया गया	.....	69
73.	पूर्व निर्णीत विषय तथा विचाराधीन मुकदमा	.....	69
74.	समवर्ती अधिकार क्षेत्र	.....	70
74—क.	परीक्षण जब किसी सिविल वाद में एक से अधिक मामलों में पैदा हो।	.....	70
74—ख.	ऐसी दशा में परीक्षण जब कि यह निश्चित न हो कि अपराध कहॉ हुआ	.....	70
75.	सिविल अथवा आपराधिक वादों का प्रस्तुत किया जाना	.....	70
76.	प्रार्थना—पत्र का बैंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना	.....	71
77.	बैंच का सभापति	.....	71
77—क.	बैंच से सरपंच की अनुपस्थिति	.....	71
78.	सम्बन्धित पक्षों की अनुपस्थिति में वादों और मामलों का खारिज किया जाना	.....	72
79.	न्याय पंचायत अपने निर्णय को पुरीक्षित अथवा परिवर्तित नहीं करेगी	.....	72
80.	न्याय पंचायत के समक्ष विधि व्यवसायी पैरवी नहीं करेंगे	.....	73
81.	व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होना	.....	73
82.	कुछ मुकदमों में विशेष अधिकार क्षेत्र	.....	73
83.	सच्चाई का पता लगाने के लिये प्रक्रिया और अधिकार	.....	73
84.	बहुमत मान्य होगा	.....	74
85.	न्याय पंचायत से मुकदमों का स्थानान्तरित करने का उच्च न्यायालय का अधिकार	.....	74
86.	साक्षियों के लिये आह्वान का जारी किया जाना	.....	75
87.	न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित न होने के लिये शास्ति	.....	75
88.	सिविल वादों आदि का खारिज किया जाना	.....	76
89.	पुनरीक्षण	.....	76
90.	प्रतिवादी अथवा अभियुक्तों का आह्वान	.....	78

91. निकाल दिया गया 78
92. डिक्री का भुगतान अथवा संधान का दर्ज किया जाना 78
93. डिक्री का निष्पादन 78
94. अर्थदण्ड की वसूली 79
94—क. न्याय पंचायत का अपमान 79

अध्याय 7

वाह्य नियन्त्रण

95. राज्य सरकार 79
95—क. निरीक्षण 83
96. कुछ कार्यवाहियों का प्रतिषेध 83
96—क. राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन 84

अध्याय 8

शास्तियॉ तथा प्रक्रिया

97. इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये शक्ति 84
97—क. अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति 85
98. नियमों और उपविधियों उल्लंघन 85
99. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति को विगाड़ने के लिये शास्ति 85
100. जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा 86
101. नोटिस का अमान्य न होना 86
102. अपील 86
103. कुल मामलों में अभियोजन का निलम्बन 87
104. अपराधों के अभिसंधान का अधिकार 87
105. प्रवेश तथा निरीक्षण 87
106. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उनके पदाधिकारियों अथवा न्याय पंचायत के पदाधिकारियों व सेवकों के विरूद्ध वाद 88
107. ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत का संरक्षण 89
107—क. कार्यवाहियों की वैधता 89

108	अपराधों तथा पंचायतों को सहायता देने व अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार तथा कर्तव्य	.....	89
109.	न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों व नगरपालिका आदि के बीच झगड़ा	.....	90
109–क.	अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग	.....	90

अध्याय 9

नियम, उपविधियॉ तथा निरसन

110.	राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार	.....	90
111.	उपविधियॉ बनाने के सम्बन्ध में जिला पंचायतों के अधिकार	.....	97
112.	उपविधियॉ बनाने का ग्राम पंचायतों का अधिकार	.....	97
113.	निरसन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध	.....	98
114.	कतिपय दशाओं में आकस्मिक रिक्तियों का न भरा जाना	.....	98
115.	कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार	.....	99
116.	देय धनराशियॉ	.....	99
117.	ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियॉ	.....	100
118.	ग्राम पंचायतों के संगठन तक के लिये व्यवस्था	.....	100
119.	कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	.....	101
	अनुसूची	.....	102

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947[1]

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, सन् 1947 ई0)

[यू0पी0 विधान सभा ने 5 जून, 1947 को तथा यू0पी0 विधान परिषद् ने
16 सितम्बर, सन् 1947 को पारित किया।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 76 के अधीन डोमीनियन आफ इंडिया के गवर्नर जनरल की स्वीकृति 7 दिसम्बर, 1947 को प्राप्त हुई तथा यू0पी0 गवर्नमेंट गजट में दिनांक 27 दिसम्बर, 1947 को प्रकाशित किया गया।]

संयुक्त प्रान्त के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और विकसित करने के लिये।

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित तथा विकसित किया जाये तथा ग्राम्य प्रशासन और विकास के लिये अधिक अच्छी व्यवस्था की जाय, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है –

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ –** (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा सिवाय उस क्षेत्र के जो [उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन नगर अथवा][2] जो संयुक्त प्रान्त म्यूनिसिपैलिटी ऐक्ट, 1916 (सं.प्रा. ऐक्ट सं. 2 सन् 1916) के उपबन्धों के अधीन म्यूनिसिपैलिटी [या][3] नोटिफाइड एरिया अथवा कैन्टुन्मेन्ट एक्ट, 1927 (ऐक्ट सं0 2, 1924) के उपबन्धों के अधीन कैन्टुन्मेंट अथवा संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 (सं. प्रा. ऐक्ट सं. 2, 1914) के उपबन्धों के अधीन टाउन एरिया के रूप में घोषित किया जा चुका हो या उसमें सम्मिलित है या एतद्पश्चात् घोषित या सम्मिलित किया जाय।

---

[1] उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 8 अगस्त, 1946 का सरकारी गजट देखें।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 2 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 2 के उपखंड 1 द्वारा प्रतिस्थापित।

[* * *][1]

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषायें –** (1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में –

(क) "*न्याय पंचायत*" – से तात्पर्य धारा 42 के अधीन स्थापित की गई न्याय पंचायत से है और उसमें उसकी 'बैंच' भी शामिल है ;

(ख) "*प्रौढ़ (Adult)* " – से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने [21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो][2] ;

[3][(खख) "*पिछड़े वर्गों*" – का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ग) [*दाण्डिक कार्यवाही (Criminal case)*][4] – से तात्पर्य ऐसी दाण्डिक कार्यवाही से है जो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में की जाये जिसकी सुनवाई न्याय पंचायत कर सकती है [और उसके अन्तर्गत धारा 53 के अधीन कोई कार्यवाही भी है][5] ;

(घ) "*मण्डल (Circle)* " – से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके भीतर कोई न्याय पंचायत धारा 42 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) का प्रयोग करे।""

(ङ) "*कलेक्टर*", "*जिला मजिस्ट्रेट*" व "*सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट*" का तात्पर्य यह है कि वह किसी [ग्राम सभा][6] के सम्बन्ध में यथास्थिति, उस जिले या परगने का जिसमें ऐसी [ग्राम सभा][7] संगठित की गई हों, "कलेक्टर", "जिला मजिस्ट्रेट" या "सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट" से है [और शब्द "कलेक्टर" में "एडिशनल कलेक्टर" "जिला मजिस्ट्रेट" में "एडीशनल जिला मजिस्ट्रेट" और "सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट" में "एडीशनल मजिस्ट्रेट" भी सम्मिलित है ;][8]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 2 (ख) द्वारा निकाला गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3च (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 3 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 2(1) द्वारा बढ़ाया गया।

[1] [(ङङ) *'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'* का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे किसी जिले में निर्वाचक नामावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिये राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम–निर्दिष्ट किया गया हो;

(ङङङ) *"सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकार"* का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो ;

[2] [(च) *"जिला पंचायत"* का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (11) के अधीन इसके लिये दिया गया है ;

(छ) *"ग्राम सभा"* का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है;

(ज) *"ग्राम पंचायत"* का तात्पर्य धारा 12 के अधीन [संघटित][3] ग्राम पंचायत से है ;

[4] [(जज) *"वित्त आयोग"* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–झ के अधीन संगठित वित्त आयोग से है;

(जजज) *"क्षेत्र पंचायत"* का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (6) के अधीन इसके लिये दिया गया है ;

(झ) **[* * *]**[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, सन् 1990 द्वारा निकाल दिया गया ;

(ञ) **[* * *]**[6] यह खण्ड संशोधन अधिनियम सं. 2, सन् 1955 द्वारा निकाल दिया गया;

[(ट) किसी न्याय पंचायत के निर्देश में, "मुन्सिफ" और "न्यायिक मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य, यथास्थिति, उस मुन्सिफ से या मजिस्ट्रेट से है जिसकी ऐसे न्याय पंचायत के सर्किल में क्रमशः सिविल आपराधिक वादों के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारिता है;][7]

[1][(टट) *"राज्य निर्वाचन आयोग"* का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ट में विनिर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 2004 की धारा 2 द्वारा रखा गया (5–7–2004 से प्रभावी)।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 2 द्वारा शब्द "स्थापित" के स्थान पर प्रतिस्थापित (5–7–2004 से प्रभावी)

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, 1990 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 के उपखण्ड 3 द्वारा निकाला गया।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2][(टटट) *"मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)"* का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, इस रूप में पदाभिहित या नाम–निर्दिष्ट किया गया हो ;]

(ठ) *"जनसंख्या"* का तात्पर्य ऐसे अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये है;

(ठठ) *"पंचायत क्षेत्र"* का तात्पर्य धारा 11–च की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है ;]

(ड) **[* * *]**[3]

[(डड) *"सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property)" तथा "सार्वजनिक भूमि (Public Land)"* – से तात्पर्य ऐसे सार्वजनिक भवन, बाग, बगीचा अथवा अन्य स्थान से है, जहॉ तत्समय जनता चाहे कोई भुगतान करके अथवा अन्य प्रकार से जा सकती हो अथवा वहॉ जाने की अनुमति प्राप्त हो ;][4]

(ढ) *"जनसेवक (Public Servant)"* – से तात्पर्य भारतीय दण्ड विधान एक्ट सं0 45, सन् 1860 की धारा 21 में दी गयी परिभाषा के अनुसार जनसेवक से है ;

(ण) *"सार्वजनिक सड़क (Public Street)"* – से तात्पर्य ऐसे मार्ग, सड़क, गली, चौक, सहन तंग गली या रास्ते से है जिससे होकर जनता को आने जाने का अधिकार हो और इसके अन्तर्गत दोनों तरफ की गन्दे पानी की नालियॉ या मोरियॉ और उनसे मिली हुई सम्पत्ति की नियत सीमा तक की कोई भूमि है, भले ही किसी बरामदे या दूसरी ऊपर की सड़क, पुल गली, चौक, सहन, तंग गली या रास्ता सम्मिलित नहीं है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय अधिकारी के स्वामित्व में हो, उसके द्वारा संधारित (Maintained) किया जाता हो अथवा उसके द्वारा उसकी मरम्मत की जाती हो;][5]

(त) *"विहित (Prescribed)"* – इससे तात्पर्य इस एक्ट अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(थ) *"विहित प्राधिकारी"* का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1994 से प्रभावी)

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 3(घ) द्वारा निकाला गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

(1) [1][उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961] की अनुसूची 3 में उल्लिखित इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत जैसा कि उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट किया जाये ; तथा

(2) उस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा चाहे सामान्यतया या किसी विशेष प्रयोजन के लिये इस रूप में अधिसूचित किया जाये ;][2]

(द) **[* * *]**[3] खण्ड (द) संशोधन एक्ट संख्या 2 सन् 1955 द्वारा निकाल (Omitted) दिया गया है ;

(ध) [*दीवानी का मुकदमा (Civil Case)*][4] – से तात्पर्य दीवानी के ऐसे मुकदमें से है जिसकी सुनवाई न्याय पंचायत कर सकती है ;

(धध) *शब्द 'सब–डिवीजनल अफसर'* – में ऐसा एडीशनल सब–डिवीजनल अफसर भी सम्मिलित है जिसको कि उपयुक्त अधिकारी ने एडीशनल सब–डिवीजनल अफसर के रूप में नामांकित या नियुक्त किया हो;][5]

(न) *ग्राम* – से तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो उस जिले के, जिसमें वह स्थित हो राजस्व अभिलेखों में (Revenue Records) ग्राम के रूप में दर्ज हो और उसमें ऐसा क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार ने साधारण/ असाधारण आदेश द्वारा इस कानून के अभिप्राय के लिये ग्राम घोषित कर दिया हो ।][6]

(प) **[* * *]**[7]

(फ) **[* * *]**[8]

(ब) **[* * *]**[9]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 7 द्वारा निकाला गया ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 2(2) द्वारा बढ़ाया गया ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 10 द्वारा निकाला गया ।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 10 द्वारा निकाला गया ।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 3(ङ) द्वारा निकाला गया ।

(भ) *"भूमि प्रबन्धक समिति"* – से अभिप्राय ऐसी भूमि प्रबन्धक समिति से है जो कि धारा 28–क के अधीन स्थापित की गई हो या स्थापित की गई मानी जाये ।**]**[1]

अध्याय 2

ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन

[2]**[3. ग्राम सभा** – राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिये या ग्रामों के समूह के लिये एक ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, स्थापित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिये स्थापित की जाये वहॉ सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

4. **[* * *]**[3]

5. **[* * *]**[4]

[5][अध्याय 2–क

ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता और

निर्वाचक नामावली इत्यादि

[6]**[5–क. ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता** – कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का **[**प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिये और होने**]**[7] के अनर्ह होगा, यदि –

(क) वह किसी विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 3 द्वारा रखे गये (22–4–1994 से प्रभावी) ।

(ख) वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो ;

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी [या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम][1], के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो ;

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो ;

(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिये जैसी नियत की जाये, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी , विफल रहा हो ;

(च) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो ;

(छ) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ज) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(झ) उसे एसेंशियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 या यू0पी0 कन्ट्रोल आफ सप्लाई (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो;

(ञ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम , 1910 के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(ट) उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ठ) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ड) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ढ) उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) या (4) के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था दी

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया (5–5–1998 से प्रभावी)।

गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ), (च), (छ), (झ), (ञ), (ट), (ठ) या (ड) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से जिसे नियत किया जाये, पॉच वर्ष होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या संपत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ङ) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकती है।

5—ख. [* * *][1]

[6. सदस्यता की समाप्ति — (1) [2]**[**ग्राम पंचायत का कोई सदस्य**]** उसका सदस्य नहीं रह जायेगा यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि [3]**[**ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली**]** से निकाल दी जाये।**]**[4]

[(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन **[**ग्राम पंचायत**]**[5] का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह **[**ग्राम पंचायत**]** का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नामांकित अथवा नियुक्त किया गया हो, बना न रहेगा।**]**[6]

[6—क. अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय — यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति **[**धारा 5—क**]**[7] अथवा धारा 6 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो ऐसा प्रश्न नियत प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय, किसी ऐसी अपील, जो नियत की जाये, के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।**]**[8]

7. [* * *][9]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1968 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित तथा निकाला गया।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।

8. **जनसंख्या में परिवर्तन अथवा [ग्राम पंचायत][1] के क्षेत्र को नगरपालिका आदि में सम्मिलित करने का प्रभाव —** यदि किसी **[**ग्राम पंचायत**]** का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी **[**नगर म्यूनिसिपैलिटी**]**[2], कैन्टुन्मेंट, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया सम्मिलित कर दिया जाये तो **[**ग्राम पंचायत**]**[3] का अस्तित्व (Existance) समाप्त हो जायेगा और उसकी आस्तियॉ (Assests) तथा उसकी जिम्मेदारियॉ विहित रीति से निर्धारित कर दी जायेगी। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित कर दिया गया तो ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र उतने भाग से हट जायेगा।

[4]**[9. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली —** (1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली, **[**इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार**]**[5], राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।

[6] **[**(1—क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण, और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(1—ख) निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी, जैसी नियत की जाये।**]**

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और प्रकाशित किये जाने पर वह [7]**[**इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार**]** किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन नामावली होगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 4 द्वारा रखे गये (22—4—1994 से प्रभावी)।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 4 द्वारा रखे गये (22—4—1994 से प्रभावी)।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 4 द्वारा रखे गये (22—4—1994 से प्रभावी)।

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाये, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण – (एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व व कब्जा है, यह न समझ लिया जायेगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहॉ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिये कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।

(पॉच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहॉ का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह –

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो ; या

(ग) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।

(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाये, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायेगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्युनिसिपालिटी या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

(8) जहॉ [1][निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी] का चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जॉच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धित किया जाना चाहिये, वहॉ वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 2004 की धारा 3 द्वारा शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर प्रतिस्थापित (5–7–2004 से प्रभावी)।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि उस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाये।

(10) [1][जहॉ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग] आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध बना सकता है, अर्थात –

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने के दिनांक और उसके प्रवर्तन की अवधि ;

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन–पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि ;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि ;

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना ;

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में गलती से सम्मिलित किया गया हो, या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो ;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण ;

(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिये आवेदन–पत्र पर देय फीस ;

(छ) निर्वाचक नामावलियॉ तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय।

(11) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुये भी, राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिये

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 2004 की धारा 4 द्वारा शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर प्रतिस्थापित (5–7–2004 से प्रभावी)।

तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहॉ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी –

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार है या नहीं ; या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही [या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय][1] की वैधता पर आपत्ति करना।

9–क. मत देने इत्यादि का अधिकार – इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी [ग्राम पंचायत के किसी][2] प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, उस [3] [ग्राम पंचायत या सम्बन्धित ग्राम पंचायत] में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति किये जाने के लिये पात्र होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा।

10. ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाई का दूर किया जाना – यदि किसी ग्राम सभा के स्थापित करने में या किसी ग्राम पंचायत के कार्यकरण करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वचन (Interpretation) अथवा ऐसे निर्वचन से या उसके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी विषय के या किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिये इस अधिनियम में व्यवस्था न हो,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1995 से प्रभावी)।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1995 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1995 से प्रभावी)।

कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर दिया गया निर्णय अन्तिम और निश्चयाक (Conclusive) होगा।

अध्याय 3

ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य

11. **[ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य]**[1] – (1) प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष, दो सामान्य (General) बैठक होगी। एक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद (जो एतद्पश्चात् खरीफ की बैठक कही जायेगी) और दूसरी रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद (जो आगे रबी की बैठक कही जायेगी) [2][जिनकी अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी]:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मॉग किये जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग पर, ऐसी मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है। ग्राम सभा की समस्त बैठक का समय और स्थान नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध है कि यदि प्रधान यथा पूर्वोक्त बैठक बुलाने से चूक करे तो नियत प्राधिकारी नियत की जाने वाली अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुला सकता है।

(2) ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति (Quorum) की संख्या सदस्यों की संख्या की 1/5 होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी][3]।

[4][(3) ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है –

(क) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिये गये उत्तर, यदि कोई हो ;

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिये जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट ;

(ग) ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि ;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1955 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया।

(घ) ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम ;

(ङ) ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किये जायें ;

(4) ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक् विचार करेगी।

(5) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् –

(क) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना ;

(ख) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हिताधिकारी की पहचान;

(ग) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना।]

[अध्याय 3–क

ग्राम पंचायत][1]

[2][**11–क. ग्राम पंचायत का प्रधान** [3][* * *] **–** [4][(1) ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा।]

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित करेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वहीं होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जन–जातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से हैः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[5][प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 3 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1994 से प्रभावी) ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

(4) प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद, जिसमें उपधारा (3) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

(5) इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियत हो, आवंटित किये जायेंगे।

(6) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रधानों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।

[1][**11–ख. प्रधानों का निर्वाचन –** (1) ग्राम पंचायत का प्रधान, किसी पचांयत क्षेत्र के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किया जायेगा।

(2) यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में, प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो–तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, या तो –

(एक) प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे , या

(दो) प्रशासक नियुक्त कर सकता है।

(3) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसा कि राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गये व्यक्ति, यदि कोई हो, ऐसे प्रधान

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जायेंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियॉ, कृत्य और कर्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक् रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि ग्राम पंचायत के सम्यक् रूप से संगठित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार, इस बात के होते हुये भी कि जिस अवधि के लिये प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिये निर्वाचन कराने का निदेश दे सकती है।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

11–ग. [1]**[* * *] का निर्वाचन और उसका कार्यकाल –** [2]**[* * *]**

[3][**11–घ. कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबन्ध –** कोई व्यक्ति एक साथ –

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच न होगा, या

(ख) एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य न होगा, या

(ग) ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच न होगा, या

(घ) एक से अधिक ग्राम पंचायतों या न्याय पंचायतों में कोई पद धारण न करगा,

और किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे पदों को भरने के लिये चुना गया हो, जिन्हें वह एक साथ धारण न कर सकता हो, एक के अतिरिक्त सभी पदों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों में की जा सकती है।

11–ङ. एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेतर रोक – (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह–

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 4 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या

[1][(ख) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य प्रमुख या उप–प्रमुख है, या

(ग) किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष है, या]

(घ) किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है।

(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसे अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थित ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत के पंच के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रधान, सदस्य या पंच के पद से आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।

[2][(3) इस अधिनियम के किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् ग्राम, खण्ड और जिला स्तर की पंचायतों को संघटित करने के लिये हुये प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायतों का सदस्य चुना जाता है, तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या यदि उक्त दो या अधिक स्तर की पंचायतों के सम्बन्ध में निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा भिन्न–भिन्न दिनांकों को की गई है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, जिन स्तरों की पंचायतों के लिये वह निर्वाचित हुआ है, उनमें से सर्वोच्च स्तर की पंचायत में उसके स्थान को छोड़कर अन्य सभी पंचायतों में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा।]

11–च. पंचायत क्षेत्र की घोषणा – (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम, या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या, यथासाध्य, एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को, पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनों के लिये विभाजित नहीं किया जायेगा :

[3][अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी या चमोली के पर्वतीय जिलों में इस अधिनियम की धारा 3, जैसी कि

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित (20–5–1995 से प्रभावी) ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया (20–5–1995 से प्रभावी) ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित (22–4–1994 से प्रभावी) ।

यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के आरम्भ के पूर्व थी, के अधीन गठित किसी गॉव सभा के क्षेत्र को यद्यपि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या एक हजार से कम हो, राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा किसी भी समय –

(क) किसी पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर, परिष्कार कर सकती है ;

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है ; या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

12. ग्राम पंचायत – (1) (क) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिये उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत [1][संघटित] की जायेगी।

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत निगमित निकाय होगी।

(ग) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या –

(एक) [एक हजार तक][2] हो, नौ सदस्य होंगे ;

(दो) एक हजार से अधिक किन्तु दो हजार से अनधिक हो, ग्यारह सदस्य होंगे ; या

(तीन) दो हजार से अधिक किन्तु तीन हजार से अनधिक हो, तेरह सदस्य होंगे ; या

(चार) तीन हजार से अधिक हो, पन्द्रह सदस्य होंगे।

(घ) ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो।

(ङ) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 4 द्वारा शब्द "स्थापित" के स्थान पर प्रतिस्थापित (20–5–1995 से प्रभावी) ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1994 से प्रभावी) ।

[1][(च) किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियम रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में नियम भूतलक्षी के प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व नहीं, बनाये जा सकते हैं।

(2) [2][* * *]

(3) (क) कोई ग्राम पंचायत, जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाये, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से पॉच वर्ष तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(ख) किसी ग्राम पंचायत के संगठन के लिये निर्वाचन –

(एक) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ;

(दो) उसके विघटन के दिनांक से छः मास के अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि जब तक कि ग्राम पंचायत बनी रह सकती थी, छः माह से कम हो, वहॉ ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिये इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(ग) किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संघटित की गई ग्राम पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये , जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत खण्ड (क) के अधीन बनी रहती, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बनी रहेगी।

(घ) ग्राम पंचायत का संगठन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जायेगा जो नियत की जाये और तदुपरान्त ग्राम पंचायत को सम्यक् रूप से संघटित समझा जायेगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के संगठन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जायें।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1994 से प्रभावी) ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 8 द्वारा निकाला गया (22–4–1994 से प्रभावी) ।

[1][(3–क) इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहॉ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिये उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहॉ राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत , उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियॉ, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक से निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा ।]

(4) ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाये, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा ।

(5) (क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

[2]["अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।"]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 22, 2000 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया (18–3–2000 से प्रभावी) ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया (22–4–1994 से प्रभावी) ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुये, किसी ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाये।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – यह स्पस्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।

(6) प्रधान को ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जायेगा।

[12–क. निर्वाचन की रीति – [* * *][1] प्रधान **[* * *]**[2] अथवा ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिये निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मतपत्र द्वारा होगा।[3]

[4]**12–कक. प्रधान** [5]**[* * *] और सदस्यों के भत्ते –** (1) ग्राम पंचायत का प्रधान [6]**[* * *]** ऐसे भत्ते और मानदेय जैसा कि नियत किया जाये, प्राप्त करेगा।

(2) प्रधान [7]**[* * *]** से भिन्न ग्राम पंचायत का सदस्य ऐसे भत्तों को, जैसा नियत किया जाये, प्राप्त करेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 18 द्वारा शब्द "किसी गांव सभा के" निकाला गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1968 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[1] [**12—ख. ग्राम पंचायत की बैठकें —** (1) कार्य सम्पादन के लिये, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी, किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघठन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा

(2) ग्राम पंचायत की बैठकें ऐसे स्थान पर, और ऐसी रीति से, आयोजित की जायेंगी, जैसी नियत की जाये।

[2][**12—खख. ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण इत्यादि—** (1) ग्राम पंचायत के प्रधान [3]**[* * *]**, और सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।**]**

[4]**[**(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन रहते हुये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य के प्रधान [5]**[* * *]** या किसी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।**]**

[6]**[**(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत के प्रधान **[* * *]**[7] या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन या उप—निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी।**]**

[12—खग. निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध — [8]**[**(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुये जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान [9]**[* * *]** और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।**]**

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20—8—2007 से प्रभावी)।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया (24—4—1994 से प्रभावी)।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20—8—2007 से प्रभावी)।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 22, 2000 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया (19—3—2000 से प्रभावी)।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20—8—2007 से प्रभावी)।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20—8—2007 से प्रभावी)।

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण, जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षा की जाये, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक हो।

(3) इसी प्रकार **[**राज्य निर्वाचन आयोग**]**[1] राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाये जो वह ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा।**]**[2]

[3]**[12—खगक. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण —** (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन, होने वाले किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में —

(क) इस प्रयोजन के लिये कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिये उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, अथवा

(ख) किसी मतदान स्थल से या निर्वाचन की मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिये या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में परिवहन के लिये किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, तो वह ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 31, 1972 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 5 द्वारा, धारा 12—खगक से धारा खगच तक बढ़ाया गया (1—4—1995 से प्रभावी)।

किन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिये विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाये।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसकी बावत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश को उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति से की जायेगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिये ऐसे सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित है।

(4) इस धारा में –

(क) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है;

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिये उपयोग में आता है, या उपयोग में लाये जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

12–खगख. – (1) जहॉ धारा 12–खग क के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर का अधिग्रहण करे, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात् –

(i) परिसर को बावत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिये देय भाटक ;

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारोबार के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) ।

परन्तु जहॉ कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाये वहॉ दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहॉ प्रतिकर पाने के हक की बावत या प्रतिकर की रकम से प्रभाजन की बावत कोई विवाद है वहॉ अवधारण के लिये उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पद से वह व्यक्ति, जो धारा 12–खगक के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहॉ कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहॉ ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 12–खगक के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीव–जन्तु को भाड़े पर लेने के लिये उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा।

परन्तु जहॉ कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहॉ दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहॉ अधिगृहीत किये जाने से अव्यवहितपूर्ण यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर था वहॉ अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति मे, जिसके लिये वह सहमत हो जायें, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभावित की जायेगी।

12–खगग. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति – जिला मजिस्ट्रेट किसी सम्पत्ति को धारा 12–खगक के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 12–खगख के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति सम्बन्धी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाये।

12–खगघ. किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियॉ – (1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिये कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के सम्बन्ध में धारा 12–खगक के अधीन आदेश किया जाये और यदि किया जाये तो किस रीति में

किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये कोई व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) इस धारा में 'परिसर' तथा 'यान' पदो के वही अर्थ हैं, जो धारा 12—खगक में है।

12—खगङ. अधिगृहीत परिसर से बेदखली — जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 12—खगक के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किये रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा।

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिये सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिये कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

12—खगच. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति — (1) जबकि धारा 12—खगक के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्ति किये जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किये जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बावत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है, कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जायेगा और कब्जे का ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में है, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बावत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिये हकदार हो।

(2) जहॉ कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 12—खगक के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिये सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है वहॉ जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिये गये हैं ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से न रहेंगे और उनको बावत यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर

दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालवधि के लिये ऐसे परिसर के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिये दायित्वाधीन न होगा ।**]**

[12—खघ. निर्वाचन के सम्बन्ध में पदीय कर्तव्य भंग — (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपने पदीय कर्तव्य भंग करने में युक्तियुक्त कारण बिना किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो अर्थ—दण्ड दिया जा सकेगा जो पॉच सौ रूपये तक हो सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में हानिपूर्ति के लिये किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी ।

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अध्यक्ष, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या किसी निर्वाचन में मतों की अभिलिखित या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाये; औा इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद ''पदीय कर्तव्य'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्तव्यारोपाण से अन्यथा आरोपित कर्तव्य नहीं है ।**]**[1]

[2]**[12—ग. निर्वाचनों पर आपत्ति करने के लिये आवेदन—पत्र — [* * *]**[3] प्रधान के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत धारा 43 के अधीन **[**न्याय पंचायत**]**[4] के पंच के रूप में **[**नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति**]**[5] का निर्वाचन भी है, सिवाय किसी ऐसे आवेदन—पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, प्रस्तुत किया जाय, निम्नलिखित आधार पर आपत्ति न की जायेगी कि —

(क) यह निर्वाचन इस कारण निर्वाध निर्वाचन नहीं है कि इसमें रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 31, 1972 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 23 द्वारा शब्द "गॉव सभा के" निकाला गया ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 4(क) द्वारा इस अधिनियम में जहॉ कहीं भी शब्द "पंचायती अदालत" आया है, शब्द न्याय पंचायत रख दिया गया ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर –

(1) किसी नाम–निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से अथवा

(2) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर चूक किये जाने से,

सरवान प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे,

(क)(1) रिश्वत, अर्थात् –

(क) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिये, या

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिये–

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने या मतदान से विरत रहने के लिये–

(1) वह इस प्रकार खड़ा हुआ या खड़ा नहीं हुआ या उसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया; या

(2) किसी निर्वाचक को इस बात के लिये कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा,

पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या कोई पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना,

(ख)(2) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो और जो –

(1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचन या किसी व्यक्ति की जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की

धमकी जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है, या

(2) उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा,

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन–पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किये जायें।

स्पष्टीकरण – कोई भी व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नामनिर्देशन पत्र निवेशित किया हो, चाहे वह नामनिर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।

(4) उस प्राधिकारी को जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाये –

(1) आवेदन–पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया,

(2) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचन को अमान्य घोषित करने या आवेदक को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य उपशम जो आवेदक को प्रदान किया जाये, के विषय में ऐसी शक्तियॉं और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जाये।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र की सरसरी तौर पर सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिये नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

[(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है अर्थात् –

(क) विहित अधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है;

(ख) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है;

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपने अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश के लिये आवेदन–पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिये सौंप सकता है, और उसे किसी अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(8) उपधारा (7) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा नियत की जाये और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें फेर–फार या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिये विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है, उस पर विनिश्चित होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत होता हो।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चित और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा।][1]

[12–घ. [* * *][2] सरपंच या सहायक सरपंच के निर्वाचन से सम्बन्धित विवाद – धारा 12–ग के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित [3][ग्राम पंचायत [4][* * *]] के रूप में या न्याय पंचायत के सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर लागू होंगे।][5]

[6]**[12–ङ. पद की शपथ** – (1) [प्रत्येक व्यक्ति][7] धारा 11–क, [12][8] (3), 43 या 44 में अभिदिष्ट किसी पद पर आसीन होने से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जिसे नियत किया जाये, नियत प्रपत्र में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो उपर्युक्त रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से अस्वीकार करे या अन्य प्रकार से इन्कार करे यह समझा जायेगा कि उसने तत्क्षण अपना पद रिक्त कर दिया है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] शब्द "उप प्रधान" उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][**12—च. पद—त्याग** — ग्राम पंचायत का प्रधान [2][* * *] या कोई सदस्य ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाये, संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और तदुपरान्त उसका पद रिक्त हो जायेगा।

12—छ. [* * *][3]

[4][**12—ज. आकस्मिक रिक्ति** — यदि ग्राम पंचायत के प्रधान [5][* * *] या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के अभिशून्य होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने के कारण रिक्त हो जाये तो यथासम्भव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिये यथास्थिति धारा 11—ख, 11—ग, या 12 में उपबन्धित रीति से भरा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि छः मास से कम हो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

[6][**12—झ. निर्वाचन विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक** — इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में की गई किसी कार्यवाही या दिये गये किसी निर्णय की वैधता के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय को आपत्ति करने की अधिकारिता न होगी।]

[7][**12—ञ. प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति में प्रबन्ध** — जब प्रधान का पद मृत्यु, हटाये जाने, त्याग—पत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो या जब प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो विहित प्राधिकारी प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिये ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को तब तक के लिये नाम—निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भरी नहीं जाती है या जब तक कि प्रधान की ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती।]

12—ट. [* * *][8]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] शब्द "उप प्रधान" उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20—8—2007 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20—8—2007 से प्रभावी)।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित (20—8—2007 से प्रभावी)।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।

13. [* * *][1]

14. प्रधान [2][* * *] का हटाया जाना – [3][(1) ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बुलाई जाये और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाये, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से प्रधान को हटा सकती है।

(1–क) धारा 11 में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (1) के अधीन किसी बैठक के लिये गणपूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों से होगी।]

(2) प्रधान को हटाने की बैठक उसके निर्वाचन से [दो वर्ष][4] के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(3) यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाये अथवा वह अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी प्रधान को हटाने के लिये बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से [एक वर्ष] [5] के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह प्रक्रिया भी है जो बैठक में अनुसरित की जाये, वहीं होगी जो नियत की जाये।][6]

[14–क. [अभिलेख आदि देने में चूक करने पर दण्ड][7] – बर्हिगामी प्रधान का ग्राम सभा के अभिलेख तथा धनराशि देने का दायित्व –

[(1) यदि कोई व्यक्ति प्रधान, सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में कार्य की समाप्ति पर यथास्थिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी जान–बूझ कर चूक करता है तो यह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।][8]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 4 द्वारा शब्द "तथा उप प्रधान" निकाले गये।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1998 की धारा 3(ख) द्वारा शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित (5–5–1998 से प्रभावी)।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 4 द्वारा शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1962 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 12(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 12(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।][1]

[2][**14–ख. उप–प्रधान का हटाया जाना – [* * *]**][3]

अध्याय 4

ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन

[4][**15. ग्राम पंचायत के कृत्य –** ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जैसी राज्य सरकार, समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् –

(एक) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है –

(क) कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति,

(ख) बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

(दो) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण –

(क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना।

(ख) भूमि चकबन्दी में सहायता करना।

(तीन) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास –

(क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना,

(ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई उद्देश्य से जलपूर्ति का विनियमन।

(चार) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन –

(क) पालतू जानवरों, कुक्कुट और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 6 द्वारा अन्तर्विष्ट।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 6 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति।

(पॉच) मत्स्य पालन –

ग्रामों में मत्स्य पालन का विकास।

(छः) सामाजिक और कृषि वानिकी –

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण,

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

(सात) लघु वन उत्पाद –

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।

(आठ) लघु उद्योग –

(क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना,

(ख) स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति।

(नौ) कुटीर और ग्राम उद्योग –

(क) कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना,

(ख) कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।

(दस) ग्रामीण आवास –

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,

(ख) आवास स्थलों का विरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

(ग्यारह) पेयजल –

पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण के लिये सार्वजनिक कुंओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण के स्त्रोतों का विनियमन।

(बारह) ईंधन और चारा भूमि –

(क) ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित बॉस और पौधों का विकास,

(ख) चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण।

(तेरह) सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन –

(क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण,

(ख) जलमार्गों का अनुरक्षण,

(ग) सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना।

(चौदह) ग्रामीण विद्युतीकरण –

सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।

(पन्द्रह) गैर–पारम्परिक उर्जा स्त्रोत –

ग्राम में गैर–पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण।

(सोलह) गरीबी उपशमन कार्यक्रम –

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन।

(सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं –

शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।

(अट्ठारह) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा –

ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति।

(उन्नीस) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा –

प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति।

(बीस) पुस्तकालय –

पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

(इक्कीस) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य –

(क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों की प्रोन्नति,

(ख) विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन,

(ग) खेलकूद के लिये ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।

(बाइस) बाजार और मेला –

पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन।

(तेईस) चिकित्सा और स्वच्छता –

(क) ग्रामीण स्वच्छता को प्रोन्नति,

(ख) महामारियों के विरूद्ध रोकथाम,

(ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम,

(घ) छुट्टा पशु और पशुधन के विरूद्ध निवारक कार्यवाही,

(ङ) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण।

(चौबीस) परिवार कल्याण –

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन।

(पच्चीस) आर्थिक विकास के लिये योजना –

ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना।

(छब्बीस) प्रसूति और बाल विकास –

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना,

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों को प्रोन्नति।

(सत्ताईस) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है –

(क) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना,

(ख) विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुये समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना।

(अट्ठाइस) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना,

(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन।

(उन्तीस) सार्वजनिक वितरण प्रणाली –

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति,

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

(तीस) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण –

सामुदायिक आस्तियों का परिक्षण और अनुरक्षण।

15—क. योजना का तैयार करना — ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना को तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को ऐसे तेयार करना दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी विरूद्ध की जाये, प्रेषित करेगी।

16. कृत्य जो कि किसी ग्राम पंचायत को समनुदेशित किये जा सकते हैं — राजय सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, निम्नलिखित में से या सभी कृत्यों को ग्राम पंचायतों को समनुषित कर सकती है, अर्थात् —

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण ;

(ख) पंचायत भूमि के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था ;

(ग) किसी कर या भू—राजस्व का संग्रह और सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

16—क. अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चन्दा देने का अधिकार — [ग्राम पंचायत][1] को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यों को जो कि उसकी अधिकार सीमा से बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती है जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे।][2]

17. सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों का अधिकारी —

समस्त सार्वजनिक सड़कों या ऐसी नहरों से भिन्न जिनकी परिभाषा उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई एक्ट (Northern India Canal and Drainage Act) सं0 8 सन् 1873 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित है, से भिन्न ऐसे जल मार्गों पर जो किसी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थित हो और जो निजी सड़क अथवा जलमार्ग न हो और राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण में नहीं हो, उस ग्राम पंचायत का नियन्त्रण होगा और वह उसके साधारण तथा मरम्मत के लिये समस्त आवश्यक कार्य कर सकती है और —

(क) नये पुलो, पुलियों का निर्माण कर सकती है।

(ख) किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल का मार्ग बदल सकती है, उसे बन्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(ग) अड़ोस–पड़ोस के खेतों को कम से कम क्षति पहुँचा कर सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती है, खोल सकती है, बढ़ा सकती है, अथवा उसमें अन्य प्रकार से सुधार कर सकती है।

(घ) जल मार्गों को गहरा कर सकती है अथवा उनमें अन्य प्रकार से सुधार कर सकती है।

[(ङ) नियम अधिकारी की स्वीकृति से और जहाँ नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट सन् 1873 के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकारी की स्वीकृति से भी जिसे राज्य सरकार नियत करें, धारा 15 के अधीन निदेश द्वारा निर्दिष्ट लघु सिंचाई प्रयाजनायें आरम्भ कर सकती है।][1]

(च) सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी या वृक्ष की डाल को काट सकती है।

(छ) किसी सार्वजनिक जल मार्ग को पानी पीने अथवा रसोई पकाने के प्रयोजन के लिये अलग कर देने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सकती है और स्नान करने, कपड़ा धोने और जानवरों को नहलाने अथवा अन्य कार्य का जिनसे इस प्रकार अलग किये गये जल मार्गों के गन्दा होने की सम्भावना हो, प्रतिषेध कर सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (छ) के अधीन कोई ऐसी बात एतदर्थ राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना न की जायेगी जिसका उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई एक्ट, 1973 द्वारा शासित नहर पर प्रभाव पड़ सकता हो।

18. सफाई के सुधार – ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को उसकी वित्तीय स्थिति (Financial Condition) का विचार करके और उसको उसके अनुपालन का यथोचित समय देकर सफाई के सुधार के लिये –

(क) ऐसी भूमि पर भवन से सम्बन्धित किसी शौचालय, मूत्रालय, नाबदान (Water Closet) , नाली, नलकूप (Cesspool) अथवा गन्दगी, गन्दे पानी या कूड़ा–करकट के अन्य पात्रों को बन्द करने, हटाने, बदलने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणुरहित करने अथवा अच्छी हालत में बनाये रखने अथवा किसी ऐसे शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान के जो किसी सड़क या नाली पर खुलता हो, किसी दरवाजे या जाली (Traps) को हटाने या परिवर्तित करने अथवा नाली का निर्माण करने अथवा शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान को पर्याप्त छत,

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1965 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

दीवार या घेरे से बन्द करने जिससे उधर से आने–जाने वाले पड़ोस में रहने वाले उसे न देख सके।

(ख) निजी कूप, तालाब, जलाशय (Reservoir), हौज, कुण्ड, गड्डा, नीची भूमि अथवा उसमें से कटब (Excavation) को जो ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य के लिये हानिकर अथवा पड़ोसियों को दुर्गन्धयुक्त जान पड़े, साफ करने, उसकी मरम्मत करने, ढंकने पाटने, निस्तारित करने, गहरा अथवा उसका पानी निकालने।

(ग) किसी वनस्पति (Vegetation) , वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ी या नागफनी या झाड़ी का जंगल साफ करने।

(घ) धूल, गोबर, मल, खाद अथवा अन्य कोई हानिकर दुर्गन्धित वस्तु को वहॉ से हटाने और भूमि अथवा भवन को साफ करने के लिये आदेश दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति जिस पर खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील किया जाये, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर स्वास्थ्य के जिला मेडिकल अफसर के पास नोटिस के विरूद्ध अपील कर सकता है, जो उसे बदल सकता है, निरसित कर सकता है अथवा पुष्ट कर सकता है।

19. स्कूलों तथा अस्पतालों का संधारण तथा सुधार – (1) ग्राम पंचायत –

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो पाठ्यक्रम (Carriculum) अध्यापकों की नियुक्ति तथा अर्हता और स्कूलों की देख–रेख के सम्बन्ध में विहित किये जाये, किसी वर्तमान प्राइमरी स्कूलों को उसके भवन और सामान के सहित संधारित करेगी तथा उसके समुचित संचालन के लिये उत्तरदायी होगी और इसी प्रकार वह नये स्कूल को स्थापित तथा संधारित कर सकती है अथवा किसी वर्तमान स्कूल का सुधार कर सकती है।

(ख) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो स्थापना साधारण तथा देख–रेख के सम्बन्ध में विहित किये जाये, किसी वर्तमान आयुर्वेदिक, [होम्योपैथिक][1] अथवा यूनानी अस्पताल और औषधालय को उसके भवन और सज्जा (Equipment) के सहित संधारित करेगी और इसी प्रकार उपर्युक्त चिकित्सा प्रणाली में एक या एकाधिक प्रणालियों के लिये नया अस्पताल अथवा औषधालय स्थापित और संधारित कर सकती है।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) ऐसे स्कूल, अस्पताल अथवा औषधालय को जिला पंचायत और राज्य सरकार ऐसे अनुदान (Grant) देगी जो विहित किये जायें।

19—क. [* * *][1]

[20. कई [ग्राम पंचायतों][2] **के किसी समूह के लिये संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना करना या सड़क व पुल बनाना —** यदि पास पड़ोस की **[**ग्राम पंचायतों**]**[3] के किसी समूहों में कोई प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय न हो तो उनको अपने संयुक्त लाभ के लिये किसी सड़क या पुल बनाने की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायतों और यदि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाये तो उनके लिये अनिवार्य होगा कि ऐसा स्कूल, अस्पताल या औषधालय स्थापित करे या सड़क, पुल बनाने और उनको संधारित करने के लिये सम्मिलित हो जायेगी और विहित रीति से वित्तपोषित (Finance) किया जायेगा तथा उसका प्रबन्ध किया जायेगा। राज्य सरकार और जिला परिषद् ऐसे स्कूल, अस्पताल, औषधालय, सड़क अथवा पुल के लिये अनुदान देगी जो निर्धारित किये जायें।**]**[4]

21. सरकारी सेवकों की सहायता — यदि राज्य सरकार ऐसा विहित करे और जहाँ तक व्यवहारिक हो, ग्राम पंचायत किसी सरकारी सेवक को अपने क्षेत्र में उसकी कर्तव्य पालन करने में सहायता देगी।

22. ग्राम पंचायत द्वारा अध्यावेदन तथा सिफारिश — ग्राम पंचायत समुचित (Proper) प्राधिकारी की —

(क) अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण के सम्बन्ध में कोई अध्यावेदन (Pepresentation) दे सकती है ; और

(ख) ऐसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कार्य करने वाले सिंचाई विभाग के पतरौल, पटवारी **[**अथवा लेखपाल, ग्राम के चौकीदार**]**[5] अथवा मुखिया को नियुक्त करने, स्थानान्तरित करने, अथवा बर्खास्त करने के लिये सिफारिश कर सकती है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 15 द्वारा निकाला गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की अनुसूची 30 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की अनुसूची 30 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 20 द्वारा बढ़ाया गया।

23. कुछ कर्मचारियों के अवचार (Misconduct) **की जॉच करने तथा रिपोर्ट करने का अधिकार –** ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति से, किसी अमीन आदेशिका वाहक (Process Server) , टीका लगाने वाले (Vaccinator) , कान्स्टेबिल, **[**ग्राम के चौकीदार**]**[1], पटवारी, **[**पतरौल, सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, वन विभाग के चौकीदार, प्राइमरी स्कूल के मास्टर, कांजी हाउस के रक्षक, ग्राम के स्टाकमैन**]**[2] अथवा किसी सरकारी विभाग के चपरासी द्वारा **[**अपने**]**[3] सरकारी कर्तव्य पालन में किसी अवचार के सम्बन्ध में फरियाद प्राप्त होने पर ऐसी ग्राम पंचायत यदि प्रत्यक्ष (Prima facie) कोई साक्ष्य उपलब्ध है, अपनी रिपोर्ट के साथ फरियाद को समुचित प्राधिकारी के पास अग्रसारित (Forward) करेगी। प्राधिकारी ऐसी और जॉच करने के पश्चात् जो अपेक्षित हो, समुचित कार्यवाही करेगा और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना भेज देगा।

24. मालिकों के लिये कर आय देयों की वसूली के लिये संविदा का अधिकार – ग्राम पंचायत जैसा, विहित किया जाये, अपने अधिकार के क्षेत्रस्थ किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित संविदा (Contract) कर सकती है –

[(क) राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से राज्य या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को देय किसी कर अथवा आदेश को वसूल करने के लिये ऐसी वसूली व्यय का भुगतान किये जाने पर जो विहित किया जाये, या**]**[4]

[(ख) राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से किसी कार्य का ऐसे निबन्धनों पर करने के लिये जिनके सम्बन्ध में करार हो जाये।**]**[5]

[6]**[25. कर्मचारी वर्ग –** (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध, उत्तर प्रदेश अधिनियम, नियम, विनियम या उप–विधि में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुये भी –

(क) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, जो राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत हों, ऐसे पदनाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, ग्राम पंचायतों के अधीन सेवा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 21(2) द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 22(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 21(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 22(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 22(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 27, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (27–6–1999 से प्रभावी)।

करने के लिये स्थानान्तरित कर सकती है और तदुपरान्त ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों की तैनाती किसी जिले की ग्राम पंचायतों में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये।

(ख) किसी ग्राम पंचायत में इस प्रकार स्थानान्तरित और तैनात किये जाने पर कर्मचारी या कर्मचारीगण उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, और सेवा निवृत्ति लाभों और अन्य विषयों के सम्बन्ध में, जिसमें पदोन्नति भी सम्मिलित है, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व उन पर प्रयोज्य होते, ग्राम पंचायत के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सेवा करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोई ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् समय–समय पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाये, नियुक्त कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी पद को सृजित नहीं करेगी।

(3) ग्राम पंचायत की ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाये, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

(4) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें नियत किया जाये, ग्राम पंचायत उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी लघुदण्ड को अधिरोपित करने की शक्ति प्रधान को या अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकती है।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी कर्मचारी को कोई दण्ड अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे अधिकारी या समिति को होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) नियत प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जाये, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को एक ग्राम पंचायत से उसी जिले की दूसरी ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित कर सकता है और राज्य सरकार या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाये, इसी प्रकार किसी ऐसे कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित कर सकता है ।

(7) न्याय पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, किसी व्यक्ति को अपने कर्मचारियों में नियत रीति से नियुक्त कर सकती है इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियत प्राधिकारी के प्रशासकीय नियन्त्रण में रहेगा जिसको उसे स्थानान्तरित करने, दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवा–मुक्त करने या पदच्युत करने की शक्ति होगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन किसी व्यक्ति को दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवामुक्त करने या पदच्युत करने वाले नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी की होगी।

[1][**"25–क. सेक्रेटरी –** राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों में से एक सेक्रेटरी नियुक्त करेगा जो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों, सम्बन्धित ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसी ग्राम पंचायतें स्थित हों, कि सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा, या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त करे, विनिर्दिष्ट किये जायें।"**]**

टिप्पणी – (1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश संख्या 14–1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

26. ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार – ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है और प्रधान या [* * *][2] से ग्राम पंचायत के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों के सम्बन्ध में विहित रीति से प्रश्न पूछ सकता है।

27. अधिभार – (1) प्रत्येक [3]**[**ग्राम पंचायत**]** का प्रधान या [* * *][4], इस अधिनियम के अधीन संगठित ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 27, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (27–6–1999 से प्रभावी)।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच, यथास्थिति, ग्राम सभा, [1][ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत] के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसके ऐसा प्रधान, [* * *][2], सदस्य सरपंच, सहायक सरपंच या पंच की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ हो।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के होने से दस वर्ष की समाप्ति, या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर न रह जाये, पॉच वर्ष की समाप्ति, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के पश्चात ऐसा दायित्व समाप्त हो जायेगा।

(2) नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार, जो नियत की जाये, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उसे धनराशि का प्रमाण–पत्र भेजेगा जो वह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा।

(3) अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी को, जो नियत किया जाये, आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है।

(4) जहॉ उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और जैसा वसूल करने की कार्यवाही न की जाये, वहॉ राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के प्रतिकर के लिये वाद संस्थित कर सकती है।][3]

28. सदस्य तथा सेवक, जन सेवक (Public Servant) **होंगे –** इस अधिनियम के अधीन संगठित न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत संयुक्त समिति अथवा अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य अथवा सेवक भारतीय दण्ड विधान संख्या 45 सन् 1860 की धारा 21 के अर्थ में जन–सेवक समझा जायेगा।

[28–क. भूमि प्रबन्ध समिति की स्थापना – (1) **[* * *]**[4] ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन [ग्राम

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 34 के द्वारा शब्द "प्रत्येक गांव सभा की" निकाला गया।

पंचायत की][1] या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख–रखाव संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करेगी।

[2][(2) प्रधान भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल उसका सचिव होगा।]

[**28–ख. भूमि प्रबन्धक समिति का कार्य –** (1) भूमि प्रबन्धक समिति पर [ग्राम पंचायत][3] के लिये तथा उसकी ओर से धारा 28–क में समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, सामान्य प्रबन्ध, परीक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा –

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन [ग्राम पंचायत][4] में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है ;

(ख) वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास ;

(ग) आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास ;

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध ;

(ङ) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास ;

(च) जोत चकबन्दी में सहायता देना ;

(छ) [ग्राम पंचायत][5] द्वारा या उसके विरूद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा उससे उद्‌भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन ;

(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियमित के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति की विशेषतः अभ्यर्थित कृत्यों का सम्पादन ; और

(झ) ऐसे प्रबन्ध परीक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित (20–8–2007 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।

और वह [ग्राम पंचायत][1] के उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक या आनुसंगिक हों ।][2]

(2) भूमि से प्रबन्धक समिति अपना कार्य जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन करेगी ।

[28—ग. भूमि प्रबन्धक समिति के संविदा आदि के भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य या अधिकारी कोई लाभ नहीं उठायेंगे — (1) ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना जानते हुये सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के या उसकी ओर से किसी लाइसेंस, पट्टा, क्रय, तबादला, संविदा या व्यवसाय में कोई हिस्सा या हित उपार्जित नहीं करेगा और न उपार्जित करने का प्रयत्न करेगा ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से यह न समझा जायेगा कि उसने कोई हिस्सा या हित उपार्जित किया है या उपार्जित करने का प्रयत्न किया है ।

(क) जब कि उसने हिस्सा या हित अपने सदस्य या अधिकारी बनने से पहले उपार्जित किया हो ;

(ख) जब कि वह ऐसी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी में हिस्सा रखता हो जिसने कि भूमि प्रबन्धक समिति से संविदा किया हो ;

(ग) जब कि वह ऐसे क्रय में हित रखता हो जो कि सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति आकस्मिक करती हो और जिसमें वह नियमित रूप से व्यापार करता हो और क्रय की हुई वस्तु का मूल्य रू0 50 से अधिक न हो ।

(2) कोई न्यायालय या अन्य अधिकारी ऐसे कार्य (Transaction) के आधार पर जो किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के उपबन्धों के विपरीत किया हो, उक्त व्यक्ति के दावा करने पर उसे कोई हक नही दिलायेगा ।][3]

[4][**29. समितियॉ** — (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी समिति या समितियॉ जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाये, ग्राम पचांयत के सभी या किन्हीं कृत्यों के संपादन में उसकी

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा बढ़ाया गया ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1999 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सहायता करनेके लिये संघटित करेगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियॉ या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है जैसी वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि प्रधान [1][* * *] या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा।

30. संयुक्त समिति – (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो विहित किये जायें दो या अधिक [2][ग्राम पंचायतें] किसी ऐसे कार्य को करने के लिये जिनमें वे संयुक्त रूप से अभिरूचि (Interest) रखती हो, अपने प्रतिनिधियों को संयुक्त समिति की नियुक्ति करने हेतु लिखित विलेख (Instrument) द्वारा एक में सम्मिलित हो सकती है और –

(क) ऐसे शर्तों के साथ जिन्हें वे आरोपित करना उचित समझे, उस समिति को ऐसी प्रत्येक [ग्राम पंचायत][3] पर बन्धनकारी (Binding) कोई योजना बनाने के लिये जो किसी सम्मिलित निर्माण कार्य के निवारण तथा रख–रखाव के सम्बन्ध में और ऐसी किसी योजना के सम्बन्ध में उक्त किसी सभा द्वारा काम में लाये जाने वाले अधिकार के सम्बन्ध में हों, अधिकार सौंप सकती है।

(ख) ऐसी समिति के बने रहने तथा उस समिति के सदस्यों की पदावधि और कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार करने की पद्धति के सम्बन्ध में नियम बना सकती है या उनको परिष्कृत (Modify) कर सकती है।

(2) यदि इस धारा के अधीन कार्य करते हुये [ग्राम पंचायत][4] में कोई मतभेद उत्पन्न हो तो उसे विहित प्राधिकारी के पास भेजा जायेगा और उसके सम्बन्ध में उस प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

---

[1] शब्द "उप प्रधान", उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो या उससे अधिक [ग्राम पंचायतें][1] धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिये इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी ।][2]

31. प्रतिनिधायन – [* * *][3]

अध्याय 5

भूमि का अर्जन, ग्राम निधि तथा सम्पत्ति

[**32. ग्राम निधि –** (1) [प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम निधि][4] होगी और वही धारा 41 के अधीन पारित आय व्यय के आर्थिक तखमीनों (Estimates) व उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम या किसी अन्य विधायन (Enactment) के अधीन ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी सम्पत्ति पर आरोपित (Imposed) किये गये कर्तव्यों, दायित्वों को निभाने में उपयोग में लाई जायेगी ।][5]

[परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी धनराशियों के जोड़ में से जो कि उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन ग्राम कोष में जमा की गई हो, वह रकम घटाकर, जो रकम कि उक्त अधिनियम की धारा 125–क के अधीन संचित ग्राम कोष में जमा की गई हो, वह रकम जो भूमि प्रबन्धक समिति को प्रत्येक वर्ष अपने कर्तव्यों, तथा दायित्वों के पालन करने के लिये आवश्यक हो, उसको दे दी जायेगी ।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि भूमि प्रबन्धक समिति का ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से इस बात पर मतभेद होने की दशा में कि भूमि प्रबन्धक समिति को कितने रूपये की आवश्यकता है यह मामला प्रधान द्वारा निर्धारित अधिकारी को भेज दिया जायेगा जिसका निर्णय माननीय होगा ।][6]

(2) ग्राम निधि में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे –

(क) इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर की आय ;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 9 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) 35 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा [ग्राम पंचायत][1] को दी गई समस्त धनराशिया ;

(ग) 'विपेज पंचायत ऐक्ट' के अधीन पहले से विद्यमान विलेख पंचायत के नाम जमा अवशेष (Balance) यदि को हो ;

(घ) समस्त धनराशियॉ जिन्हें न्यायालय [या किसी अन्य कानून ने ग्राम निधि में जमा करने की आज्ञा दी हो ;][2]

(ङ) धारा 104 के अधीन प्राप्त ग्राम समस्त धनराशियॉ ;

(च) ग्राम पंचायतों के सेवकों द्वारा संग्रहीत (Collected) धूल, गन्दगी, गोबर, कूड़ा, करकट जिसके अन्तर्गत पशुओं के शव भी सम्मिलित है, की बिक्री से प्राप्त धन ;

(छ) नजूल की सम्पत्ति और लगान उनकी अन्य आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार ग्राम निधि में जमा किये जाने का निर्देश दें ;

(ज) [जिला पंचायत][3] अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ग्राम निधि में से अंशदान (Contribution) के रूप में दी गई धनराशियॉ ;

(झ) ऋण अथवा दान के रूप में दी गई धनराशियॉ ;

(ञ) ऐसी अन्य धनराशियॉ जो राज्य सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ग्राम निधि को अभ्यर्पित (Assigned) की जाये ;

(ट) समस्त धनराशियॉ, जो धारा 25 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति अथवा निगम (Corporation) अथवा राज्य सरकार से ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई हों ;

[4][(ठ) राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियॉ ।]

(3) इस धारा को किसी बात का [ग्राम पंचायत][5] के किसी ऐसे आभार पर प्रभाव न पड़ेगा जो वैध रूप से उस पर आरोपित या उसके द्वारा स्वीकृति न्यास (Trust) से उत्पन्न होता हो ।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा बढ़ाया गया ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा इस अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द "जिला परिषद" आया है, शब्द "जिला पंचायत" रख दिया गया ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 39 द्वारा बढ़ाया गया ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 10 द्वारा शब्द "ग्राम सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (22–4–1994 से प्रभावी) ।

[1][(4) गॉव निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

[2][**32–क. वित्त आयोग –** (1) राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर यथाशक्य शीघ्र और उसके पश्चात प्रत्येक पांचवे वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये और राज्यपाल को निम्नलिखित बावत सिफारिशें करने के लिये एक वित्त आयोग का गठन करेगा –

(क) सिद्धान्त जो निम्नलिखित को शासित करेंगे –

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण जिसे उनके बीच वितरित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने–अपने अंशो का आवंटन ;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे ;

(तीन) राज्य की संचित निधि, में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान ;

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक उपाय ;

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाये।

(2) वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी अर्हतायों रखेंगे और ऐसी रीति से चयनित किये जायेंगे जैसी कि नियत की जाये।

(3) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1999 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 40 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) वित्त आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है किन्तु त्याग–पत्र की स्वीकृति किये जाने तक अपने पद पर बना रहेगा।

(5) वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी शेष अवधि तक के लिये भरा जा सकता है।

(6) वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिये निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी, अर्थात –

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मांग सकता है ;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति को बुला सकता है ; एवं

(ग) ऐसी अन्य शक्तियॉ, जैसी नियत की जाये।

(7) राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।

33. भूमि अर्जित करने का अधिकार – यदि [ग्राम पंचायत][1] अथवा कई ऐसी [ग्राम पंचायतें][2] जो धारा 20 अथवा 30 के उपबन्धों के अधीन एक में सम्मिलित हुई हो, इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये किसी भूमि की अपेक्षा करे, [ग्राम पंचायत][3] अथवा [ग्राम पंचायतें][4] पहले तो आपसी बातचीत से भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी और यदि सम्बन्धित पक्षों में करार न हो सके, तो ऐसी [ग्राम पंचायत][5] या [ग्राम पंचायतें][6] विहित प्रपत्र में कलेक्टर के पास भूमि अर्जित करने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकती है और कलेक्टर ऐसी भूमि को उक्त [ग्राम पंचायत][7] अथवा [ग्राम पंचायतों][8] के लिये अर्जित कर सकता है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के शब्द 'भूमि' के अन्तर्गत भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ और जमीन से संलग्न वस्तुओं अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुयें सम्मिलित हैं।

34. [ग्राम पंचायत][1] में निहित सम्पत्ति – (1) राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष रक्षण (Reservation) के अधीन रहते हुये, [ग्राम पंचायत][2] के अधिकार क्षेत्रस्थ समस्त सार्वजनिक सम्पत्ति [ग्राम पंचायत][3] में निहित होगी और उसके स्वामित्व में रहेगी और ऐसी समस्त अन्य सम्पत्ति सहित जो [ग्राम पंचायत][4] में निहित हो जायें, उसके निर्देश (Direction) और प्रबन्ध और नियन्त्रण में रहेगी।

(2) समस्त बाजारों तथा मेलों अथवा उनके ऐसे भागों को जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और विनियमन [ग्राम पंचायत][5] द्वारा होगा और ग्राम पंचायत निधि के नाम ऐसे समस्त आदेश (Dues) प्राप्त करेगी जो उसके सम्बन्ध में आरोपित किये गये हों या लगाये गये हों।

35. दावों का निस्तारण – जब धारा 34 में उल्लिखित किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में [ग्राम पंचायत][6] और किसी व्यक्ति के बीच कोई विवद उत्पन्न हो, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का समुचित अवसर देगी और तब यह निर्णय करेगी कि उक्त सम्पत्ति को [ग्राम पंचायत][7] की सम्पत्ति समझा जाये या नहीं।

[36. उधार लेने की शक्ति – कोई [ग्राम पंचायत][8] राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जाये, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश को–आपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट को–आपरेअिव बैंक [या किसी अन्य [ग्राम पंचायत][9]][10] के इस

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

[10] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये धनराशि उधार ले सकती है ।][1]

[**37. करों तथा शुल्क का आरोपण** — [ग्राम पंचायत][2] एतद्पश्चात् दिये गये खंड (क) और (ख) में कथित कर लगायेगी और खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है अर्थात् —][3]

(क) उन क्षेत्रों में जहॉ उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार–बावर जमींदार–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूँ तथा उत्तर खण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया, [कम से कम पच्चास पैसे किन्तु पचास पैसे][4] से अनधिक कर लगा सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू–राजस्व देय अथवा देय समझा जाये, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो ;

(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में मौलिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया [कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे][5] से अनधिक कर लगा सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भू–राजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो;][6]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 18 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 19(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 19(ख) और (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 19(ख) और (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 11(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[(ग) [ग्राम पंचायत][1] के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, चलचित्र (सिनेमा) अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर कोई कर, जो पांच रूपया प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा, लगा सकती है ।][2]

(घ) [ग्राम पंचायत][3] क्षेत्र में रखे हुये और किराये पर चलाये जाने वाले यन्त्रचालित (Mechanically Propelled) वाहनों (Vehicle) से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय लगा सकते हैं, जो निम्नलिखित दर से होगा –

(1) पशुओं के सम्बन्ध में प्रति पशु 3/– वार्षिक से अधिक न होगा ।

(2) वाहनों के सम्बन्ध में प्रति वाहन 6/– वार्षिक से अधिक न होगा ।

(ङ) उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड (ग) के अधीन [कोई कर][4] लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर [कर][5] लगा सकती है, जो ऐसे बाजारों, हाटों तथा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें, जो सम्बन्धित [ग्राम पंचायत][6] के स्वामित्व या नियन्त्रण में हों ;

(च) उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकती है जो ऐसे बाजारों अथवा भूमि पर बेचे गये हों, जो [ग्राम पंचायत][7] के स्वामित्व या नियन्त्रण में हों ;

(छ) बधशालाओं (Slaughter House) और पड़ाव की भूमि के प्रयोग के लिये शुल्क लगा सकती है ;

[(ज) जलशुल्क – जहॉ [ग्राम पंचायत][8] द्वारा घर के उपयोग के लिये जल संभारित किया जाता हो और][9]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 4(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 4(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1965 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(झ) यदि सफाई [ग्राम पंचायत][1] द्वारा की जाती है,तो निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है जो उन मकानों के, जिनसे वे शौचालय या नालियॉ साफ हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा ; और

[(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वस्छता के लिये कर ;][2]

[(ट) जहॉ [ग्राम पंचायत][3] द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई परियोजना जल सम्भरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर ;][4]

[5][(ठ) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये हो और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।]

(2) उपधारा (1) के अधीन कर, उपशुल्क तथा शुल्क उस रीति से और ऐसे समय पर जो विहित किये जायें, आरोपित, निर्धारित तथा वसूल किये जायेंगे।

[37—क. कर, उपशुल्क अथवा शुल्क लगाये जाने के विरूद्ध अपील — (1) [ग्राम पंचायत][6] द्वारा लगाये गये कर, उपशुल्क अथवा शुल्क के विरूद्ध अपील विहित प्राधिकारी को दी की जायेगी।

(2) यदि विहित प्राधिकारी के सामने यह बात लाई जाये कि कोई कर, उपशुल्क अथवा शुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर उसे लगाना चाहिये था, नहीं लगाया गया है तो वह प्राधिकारी [ग्राम पंचायत][7] को उन व्यक्तियों पर कर लगाने का निर्देश दे सकता है और [ग्राम पंचायत][8] तदुपरान्त तदनुसार कार्य करेगी।

37—ख. कर और आदेय मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किये जा सकेंगे — आरोपित करों के कारण समस्त आदेश और इस अधिनियम के अधीन अन्य धनराशियॉ

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 19(घ) द्वारा अन्तर्विष्ट।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1965 की धारा 4(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 43 द्वारा बढ़ाया गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

जो [ग्राम पंचायत][1] को देय हों, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत कर निर्धारण के 3 महीने के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ग्राम पंचायत उक्त तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसा संकल्प पास न करे, तो विहित प्राधिकारी करों के बकाया को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार देगा।

37—ग. कर, उपशुक्ल तथा शुल्क की छूट — (1) राज्य सरकार किसी भी अवधि के लिये चाहे वह उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम, 1954 के आरम्भ से पहले हो अथवा बाद को, [ग्राम पंचायत][2] द्वारा लगाये गये किसी कर, उपशुल्क अथवा शुल्क की पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।

(2) वे अधिकार जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जा सकते हों, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राज्य सरकार विहित करे, सामान्य रूप से अथवा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में विहित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग में लाये जा सकेंगे।

(3) [ग्राम पंचायत][3] भी संकल्प द्वारा और उन परिस्थितियों में, जो विहित की जाये, किसी ऐसे कर, उपशुल्क अथवा शुल्क की जो उसके द्वारा आरोपित किया गया, लगाया गया हो, पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।

(4) यदि उपधारा (1) से (3) तक के अधीन कोई कर उपशुल्क अथवा शुल्क की छूट दी गई हो तो [ग्राम पंचायत][4] उस कर, उपशुल्क अथवा शुल्क, जिसकी इस प्रकार छूट दी गई हो, के रूप में करदाता से वसूल की गई धनराशि उसे वापस कर देगी।][5]

38. आदेयों की वसूली तथा निधि और लेखों की अभिरक्षा — ग्राम पंचायत ऐसी रीति से जो विहित की जाये, पंचायत के करों और आदेशों की वसूली अपनी निधियों की अभिरक्षा तथा लेखों के रख—रखाव का प्रबन्ध करेगी।

[39. न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पर भारित होंगे — (1) न्याय पंचायत के व्यय, मंडल में सम्मिलित [ग्राम पंचायत][1] की ग्राम निधि अथवा ग्राम निधियों पर उस अनुपात में भारित होंगे जिसे विहित प्राधिकारी निर्धारित करे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) इस अधिनियम के अधीन विचारणीय मुकदमें में न्याय शुल्क और अर्थ दण्ड के रूप में वसूल की गई समस्त धनराशियॉ राज्य सरकार के नाम जमा होगी किन्तु राज्य सरकार इस प्रकार वसूल की गई धनराशि में से सम्बन्धित [ग्राम पंचायत][2] को न्याय पंचायत का व्यय पूरा करने के लिये अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत से अनधिक वह अंश देगी जिसे राज्य सरकार निश्चित करे ।][3]

[**40. लेखा परीक्षा** — प्रत्येक [ग्राम पंचायत][4] और न्याय के लेखों की परीक्षा (Audit) और [प्रत्येक वर्ष][5] ऐसी रीति से [और ऐसी फीस का भुगतान करने पर][6] की जायेगी, जो विहित की जाये ।][7]

[8][**41. ग्राम पंचायत का बजट** — प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी नियत की जाये, आगामी पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित किया जायेगा और ऐसी बैठक के लिये गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे के अधिक से होगी ।]

अध्याय 6

न्याय पंचायत

[**42. न्याय पंचायत की स्थापना** — (1) राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी जिलों को मण्डलों में विभक्त करेगा और प्रत्येक मण्डल में [ग्राम पंचायत][9] के अधिकार क्षेत्रस्थ उतने भाग सम्मिलित होंगे, जितने इष्टकर हों, राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी प्रत्येक मण्डल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा ।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 30 द्वारा बढ़ाया गया ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 20 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया ।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक [ग्राम पंचायतों][1] के क्षेत्र यथासम्भव परस्पर संलग्न होंगे।

(2) प्रत्येक न्याय पंचायत के कम से कम 10 या अधिक से अधिक 25 उतने सदस्य होंगे जो निर्धारित किये जायें। परन्तु न्याय पंचायत के लिये यह वैध होगा कि उसके सदस्यों के किसी स्थान के रिक्त होते हुये भी अपना काम करती रहे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उसके पंचों की संख्या विहित संख्या के दो तिहाई से कम न हो।

43. पंचों की नियुक्ति व उसका कार्यकाल – ग्राम पंचायत के सदस्यों में से विहित प्राधिकारी उतने व्यक्ति जितने कि नियत किये जायें, न्याय पंचायत के पंच नियुक्त करेगा और इसके पश्चात् इस प्रकार जो व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे और ग्राम पंचायत में उनके स्थान, यथासम्भव, उस रीति से भरे जायेंगे जो कि धारा 12 में दी गई है।

[प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्याय पंचायत के पंच होने के लिये वांछित संख्या में ग्राम पंचायत के सदस्य उपलब्ध न हों तो नियत प्राधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह इस प्रकार हुई रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति ग्राम सभा के अन्य सदस्यों में से नामांकन द्वारा कर दें।][2]

(2) ऐसा कोई व्यक्ति न्याय का पंच नियुक्त नहीं किया जायेगा , जोकि निर्धारित अर्हतायें न रखता हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नियुक्तियों के हेतु विविध अर्हतायें रखने वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो विहित प्राधिकारी अपनी लिखित आज्ञा द्वारा ऐसी कोई अथवा सभी अर्हतायें शिथिल कर सकता है।][3]

44. सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन – [धारा 43 के अधीन नियुक्त किये गये पंच विहित किये जाने वाल रीति एवं अवधि के भीतर अपने में से दो व्यक्तियों का ,जो कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की क्षमता रखते हों, सरपंच तथा सहायक निर्वाचित करेंगे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पंच उपयुक्त रूप से सरपंच अथवा सहायक सरपंच निर्वाचित न कर सके, तो विधिक प्राधिकारी सरपंच या सहायक सरपंच नियुक्त कर सकता है।][1]

45. पंच का कार्यकाल — [न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यालय उसके पंच होने के दिनांक से आरम्भ होगा और जब तक कि उसका कार्यकाल अन्य प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समाप्त न कर दिया गया हो, उस ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिसके लिये वह पंच नियुक्त किया गया हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरपंच व सहायक सरपंच अपने–अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित अथवा नियुक्त किये जाने तक अपने पदों पर आसीन रहेंगे।][2]

46. [* * *][3]

47. पंचों का त्याग पत्र देना — [पंच, सरपंच अथवा सहायक सरपंच अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो ऐसे प्राधिकारी को सम्बोधित (Addressed) होगा जो विहित किया जाये, अपना पद त्याग सकेगा और तदुपरान्त उसका पद रिक्त हो जायेगा।][4]

48. [* * *][5]

49. न्याय पंचायत की बैंच — [(1) सरपंच, न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले मुकदमों एवं जांच के निस्तारण के लिये पांच पंचों की बैंचे निर्मित करेगा।

(2) बैंचों का निर्माण अवधि जिसमें वह कार्य करेंगे जिसके अन्तर्गत आंशिक रूप से सुने गये मुकदमों की सुनवाई भी सम्मिलित है, बैंचों के बीच कार्य विभाजन, स्थानान्तरण तथा पुनः स्थानान्तरण की पद्धति और उनके द्वारा मुकदमों एवं जॉच में सामान्य रूप से पालन की जाने वाली प्रक्रिया नियमों द्वारा प्रशासित (Governed) होंगी।

(3) कोई पंच, सरपंच अथवा सहायक सरपंच किसी ऐसे मुकदमें के परीक्षण (Trial) अथवा जॉच में भाग न लेगा जिसमें स्वयं वह, उसका कोई निकट सम्बन्धी नियोजक (Employer) कर्मचारी ऋणी (Debtor) ऋणदाता (Creditor) अथवा साझीदार

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 36 द्वारा निकाला गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 38 द्वारा निकाला गया।

एक पक्ष हो अथवा जिसमें उक्त कोई व्यक्तिगत (Personal) के रूप में अभिरूचि (Interest) रखता हो।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार मुकदमों के किसी वर्ग अथवा वर्गों के परीक्षण के लिये विशेष बैंचों का संगठन विहित कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे विशेष बैंच के पुनः संगठन (Reconstitution) की आज्ञा दे सकती है।

(5) बैंचों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली से सम्बद्ध कोई विवाद विहित प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।][1]

[**50. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना** — (1) यदि किसी पंच की मृत्यु हो जाने, उसके हटाये जाने अथवा त्याग पत्र देने के कारण उसका पद रिक्त हो जाये, तो उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिये उसे विहित प्राधिकारी द्वारा धारा 45 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ग्राम पंचायत के तत्कालीन सदस्यों में से किसी व्यक्ति को नियुक्त करके भरा जायेगा और वह पंच जिसका स्थान रिक्त हुआ है, सरपंच अथवा सहायक सरपंच रहा हो तो धारा 44 में दी हुई क्षति से, यथास्थिति, एक नया सरपंच अथवा सहायक सरपंच निर्वाचित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पंच के पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने नियुक्ति के दिनांक से, ग्राम पंचायत का सदस्य न रहेगा तथा ग्राम पंचायत में इस प्रकार हुई कोई रिक्ति धारा 12—ज के प्रयोजन के लिये आकस्मिक रिक्ति समझी जायेगी।][2]

[**50. सरपंच के अधिकार** — सहायक सरपंच, सरपंच के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विहित किये जाये।][3]

[**51. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार** — (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973][4] में किसी बात के होते हुये भी, फौजदारी का ऐसा प्रत्येक मुकदमा जो न्याय पंचायत द्वारा परीक्षणीय (Triable) हो उस मंडल के, जिसमें अपराध किया गया हो, न्याय पंचायत के सरपंच के सामने संस्थित (Institute) किया जायेगा।][5]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 41 द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 21(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 42(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जाब्ती दीवानी एक्ट संख्या 5 सन् 1908 में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थित दीवानी का प्रत्येक मुकदमा उस मंडल की न्याय पंचायत के सरपंच के सामने संस्थित किया जायेगा, जिसमें [प्रतिवादी और यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो, तो सभी प्रतिवादी सिविल वाद संस्थित होने के समय, सामान्य रूप से निवास करते हों या व्यापार करते हों][1], भले ही वाद मूल्य (Cause of Action) कहीं भी उत्पन्न हुआ हो।]

(2) [* * *][2]

[**52. न्याय पंचायतों द्वारा हस्तक्षेप —** (1) निम्नलिखित अपराध एवं उनके अभिप्रेक्षण (Abedtment) तथा उनके करने की चेष्टायें (Attempts) यदि किसी न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र में की जाये, तो उसी न्याय पंचायत द्वारा हस्तक्षेप (Cognizable) होगी –

(क) भारतीय दण्ड संहित एक्ट (Indian Penal Code) संख्या 45 सन् 1980 की धारा 140, 162, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, 294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374, 379, 403, 411 (जहॉ धारा 379, 403 तथा 411 के अधीन पड़ने वाले मुकदमों में चुराई गई अथवा दुर्विनियुक्त (Misappropriated) वस्तु का मूल्य रू0 50 से अधिक न हो) , 426, 428, 430, 431, 445, 448, 504, 506, 509 तथा 510 के अन्तर्गत अपराध ;

(ख) पशुओं द्वारा अनधिकार प्रदेश एक्ट (Cattle Trespass Act) संख्या 1 सन् 1871 की धारा 24 तथा 26 के अन्तर्गत अपराध ;

(ग) यू0पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी शिक्षा एक्ट सं0 1 सन् 1926 की धारा 10 उपधारा 1 के अन्तर्गत अपराध ;

(घ) सार्वजनिक जुआ (Public Gambling) एक्ट सं0 3 सन् 1867 की धारा 3, 4, 7 तथा 13 के अन्तर्गत अपराध ;

(ङ) पूर्वोक्त विधायनों अथवा किसी अन्य विधायन के अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अपराध जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके न्याय पंचायत द्वारा हस्तक्षेप घोषित करे ; तथा

(च) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अन्तर्गत कोई अपराध।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 21(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 42(2) द्वारा निकाला गया।

(1–क) राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित कराकर भारतीय दण्ड संहिता एक्ट सं0 45 सन् 1860 की धारा 279, 286, 336 तथा 356 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में हस्तक्षेप करने के लिये किसी न्याय पंचायत को अधिकार दे सकती है तथा इसी प्रकार उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक में निर्दिष्ट किसी अपराध को सामान्यता न्याय पंचायतों के अथवा ऐसी न्याय पंचायतों के, जो निर्दिष्ट की जायें, हस्तक्षेपाधिकार (Congnizance) से वापस ले सकती है।][1]

(2) भारतीय दण्ड संहिता 45 सन् 1860 की धारा 143, 145, 151 या 153 के अन्तर्गत किसी अपराध से सम्बद्ध कोई फौजदारी का मुकदमा, जो किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, परीक्षण के लिये न्याय पंचायत को स्थानान्तरित किया जा सकता है यदि उक्त न्यायालय की राय में वह गम्भीर अपराध न हो।

53. शान्ति बनाये रखने के लिये प्रतिभूति – (1) जब किसी न्याय पंचायत के सरपंच को यह आशंका करने का कारण हो, कि कोई व्यक्ति शान्ति भंग करेगा अथवा सार्वजनिक शान्ति में बाधा डालेगा तो वह उस व्यक्ति से कारण बताने के लिये कह सकता है कि वह 15 दिन से अधिक अवधि के निश्चित शान्ति बनाये रखने के हेतु 100/– से अनधिक की धनराशि, प्रतिभूति सहित या रहित का बन्ध (Bond) क्यों न निष्पादित करे।

(2) सरपंच ऐसा नोटिस जारी करने के पश्चात् उक्त [विषय बैंच को निर्दिष्ट कर देगा।][2] बैंच या तो उस आज्ञा को पुष्ट कर सकती है तथा ऐसे व्यक्तियों या साक्षियों का बयान सुनने के पश्चात् जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहे, उस नोटिस को उत्सर्जित (Discharge) कर सकती है।

[(3) यदि यह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन पूर्वोक्त रूप में बन्ध निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, ऐसा न करे तो अधिक से अधिक 5/– प्रतिदिन के हिसाब से उतना अर्थ दण्ड जितना बैंच निश्चित करे, उतने दिनों के लिये अदा करने का भागी होगा, जितने दिनों तक आज्ञा में निश्चित की गई अवधि में चूक (Default) जारी रहे।][3]

54. शास्ति – (1) कोई न्याय पंचायत कारावास का मूल दण्डादेश (Substantive) नहीं दे सकती है।

(2) यदि कोई न्याय पंचायत अर्थदण्ड दे सकती है जो [दो सौ पचास रूपये][4] से अधिक न होगा किन्तु भुगतान किये जाने की दशा में कारावास का दण्ड नहीं दिया जायेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 44(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभियुक्त का फौजदारी के एक ही मुकदमें में 3 साल से अधिक अपराधों के लिये परीक्षण न किया जायेगा तथा फौजदारी के एक ही मुकदमें में किसी एक अभियुक्त में आरोपित किया गया कुल अर्थदण्ड [दो सौ पचास रूपये][1] से अधिक न होगा।][2]

[**55. अभियोग में हस्तक्षेप** – (1) किसी क्षेत्र के लिये न्याय पंचायत की स्थापना किये जाने के पश्चात् कोई न्यायालय इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित दशा को छोड़कर उस न्याय पंचायत द्वारा परीक्षणीय किसी अभियोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(2) जब कोई न्याय पंचायत धारा 95 के अन्तर्गत निलम्बित अधिक्रान्त अथवा विघटित हो गई हो अथवा उसने किसी अन्य कारण से कार्य करना बन्द कर दिया हो तो उसके समक्ष विचाराधीन समस्त फौजदारी के मुकदमें अधिकार क्षेत्रयुक्त सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित हो जायेंगे जो उन्हें विधि के अनुसार निस्तारित करेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे समस्त मुकदमें का न्यायालय में नये सिरे से परीक्षण किया जायेगा।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी न्याय पंचायत के बारे में केवल इस कारण से कि उसके पंचों का पुनः निर्वाचन होना है, यह न समझा जायेगा कि उसने कार्य करना बन्द कर दिया है।

(3) धारा 52 तथा इस धारा की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी कोई न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता, सन् 1860 की धारा 431 तथा 447 के अधीन किसी अपराध में हस्तक्षेप कर सकती है, यदि वह अन्यथा ऐसा करने के लिये सक्षम हो।

(4) धारा 52 तथा इस धारा की उपधारा (1) से (3) तक में किसी बात के होते हुये भी किन्तु सदैव भारतीय दण्ड संग्रह 1898 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यदि किसी न्यायालय ने उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी अपराध में हस्तक्षेप किया हो और ऐसे अपराध में अभियुक्त के उपस्थित होने के लिये यथा समिति आह्वान अथवा अधिपत्र भी जारी हो गया हो तो उस अपराध में न्यायालय द्वारा जॉच की जा सकती है और उसका परीक्षण किया जा सकता है।][3]

[**56. न्यायालयों द्वारा न्याय पंचायत की अभियोगों का स्थानान्तरण किया जाना**– यदि किसी न्यायालय को यह पता चले कि किसी मुकदमें का न्याय पंचायत द्वारा परीक्षण किया जा सकता

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 45 द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 46 द्वारा बढ़ाया गया।

है, तो वह धारा 55 की उपधारा (4) में की गई व्यवस्था को छोड़कर उस मुकदमें का सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली न्याय पंचायत को स्थानान्तरित कर देगा और तदन्तर न्याय पंचायत उस पर नये सिरे से विचार करेगी ।][1]

57. अभियोग का सरसरी तौर से खारिज किया जाना – न्याय पंचायत किसी ऐसे शिकायत (Complaint) को खारिज कर सकती है यदि फरियादी की जांच करने और ऐसा साक्ष्य लेने के बाद जो वह उपस्थित करे, न्याय पंचायत का यह समाधान हो जाये कि शिकायत तुच्छ (Frivolus) , उद्वेगकारी (Vexatious) अथवा असत्य (Untrue) है ।

[**58. न्याय पंचायत द्वारा मुकदमों का न्यायालयों को स्थानान्तरित किया जाना –** यदि किसी समय न्याय पंचायत को यह प्रतीत हो कि –

(क) उसके समक्ष विचाराधीन किसी मुकदमे के परीक्षण का उसे अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है;

(ख) अन्तर्ग्रस्त (Involved) अपराध ऐसा है, जिसके लिये वह पर्याप्त दण्ड नहीं दे सकती ; अथवा

(ग) अन्यथा मुकदमे का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये तो वह उसे सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को स्थानान्तरित कर देगी और स्थानान्तरित की सूचना सम्बन्धित पक्षों को देगी ।][2]

[**59. कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न्याय पंचायत द्वारा न किया जायेगा –** कोई न्याय पंचायत किसी ऐसे फौजदारी मुकदमें में हस्तक्षेप न करेगी जो उस व्यक्ति के विरूद्ध हो –

(क) जो पहले किसी अपराध में अभिशप्त हुआ हो जिससे उसे तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये दोनों प्रकार में से किसी प्रकार का भी कारावास का दण्ड दिया जा सकता था ।

(ख) न्याय पंचायत द्वारा चोरी के लिये पहले अर्थदण्ड दिया जा चुका था ।

(ग) जिससे दण्ड प्रक्रिया संहिता एक्ट सं0 5 सन् 1898 [या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की][3] धारा 109 अथवा 110 के अधीन सद्व्यवहार बनाये रखने के लिये मुचलका लिया गया हो ।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) पब्लिक जुआ एक्ट संख्या 3, सन् 1867 के अधीन पहले अभिशप्त हुआ हो, अथवा

(ङ) जनसेवक हो ।][1]

60. फरियादी को प्रतिकर – न्याय पंचायत किसी अर्थदण्ड को आरोपित करते समय यह आज्ञा दे सकती है कि वसूल किया गया सम्पूर्ण अर्थदण्ड या उसका कोई भाग निम्नलिखित प्रयोजनों में लगाया जाये –

(क) फरियादी द्वारा फौजदारी के मुकदमें में उचित रूप से किये गये व्यय को पूरा करना ;

[(ख) अपराध के कारण हुई सारवान (Materila) हानि अथवा क्षति को पूरा करने के लिये किसी व्यक्ति को प्रतिकर अदा करना ;][2]

[(ग) चोरी की सम्पत्ति के किसी वास्तविक (Bonafide) खरीदार का उस हानि के लिये प्रतिकर देना, जो उस सम्पत्ति को उसके अधिकारी व्यक्ति के कब्जे में वापिस कर दिये जाने के कारण उसे हुई हो ।][3]

[**61. अभियुक्त को प्रतिकर –** (1) यदि न्याय पंचायत के सामने संस्थित किसी फौजदारी के मुकदमें में कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो न्याय पंचायत द्वारा परीक्षणीय है और न्याय पंचायत उस अभियुक्त को मुक्त कर देती है और उसकी राय में उस पर लगाया गया अभियोग असत्य और तुच्छ अथवा उद्वेगकार है तो न्याय पंचायत फरियादी से तुरन्त यह कारण बताने के लिये कह सकती है कि फरियादी उस अभियुक्त को प्रतिकर क्यों न अदा करे ।

(2) यदि फरियादी के सुनने के बाद न्याय पंचायत का यह समाधान हो जाये कि अभियोग असत्य, तुच्छ अथवा उद्वेगकारी था तो वह यह निर्देश दे सकती है कि ऐसा प्रतिकर जो 25/– से अनधिक हो, फरियादी द्वारा अभियुक्त को अदा किया जाये ।][4]

62. अपराधियों का परीक्षण पर मुक्त किया जाना – न्याय पंचायत, उत्तर प्रदेश अपराधियों को अजमाईश पर रिहा करने के एक्ट (First Offenders Probation Act) सन् 1938 की धारा 4 के अधिकारों का प्रयोग कर सकती है ।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 49' द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 50(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 50(3) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[**63. मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित मुकदमों की जॉच –** भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, [1973][1] में किसी बात के`ते हुये भी मजिस्ट्रेट किसी ऐसे फौजदारी के मुकदमें में, जो किसी न्याय पंचायत के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया हो, यह निर्देश दे सकता है कि वह न्याय पंचायत उक्त दण्ड विधि संग्रह की धारा 202 में निर्दिष्ट जॉच करे और न्याय पंचायत मुकदमें की जॉच करेगी तथा उक्त मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट करेगी। निर्देश प्राप्त होने पर सरपंच या सहायक सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में धारा 75 में उल्लिखित पंच धारा 49 के अधीन निर्मित बैंच को सुपुर्द कर देगा।][2]

[**64. दीवानी के मकदमें में अधिकार क्षेत्र की सीमा –** (1) न्याय पंचायत धारा 66 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित प्रकार के किसी दीवानी के मुकदमें में हस्तक्षेप कर सकती है, यदि उसका मूल्य 100 से अधिक न हो –

(क) अचल सम्पत्ति के संविदे (Contract) से भिन्न संविदे पर देय धन के लिये दीवानी मुकदमा ;

(ख) चल सम्पत्ति अथवा उसके मूल्य की वसूली के लिये दीवानी का मुकदमा ;

(ग) चल सम्पत्ति को दोष पूर्णतया (Wrongfully) लेने या उसे क्षति पहुँचाने के लिये प्रतिकर का दीवानी मुकदमा ; तथा

(घ) पशुओं के अनाधिकृत प्रवेश (Trespass) से हुई क्षति के लिये दीवानी का मुकदमा।

(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर निर्देश दे सकती है कि किसी न्याय पंचायत का अधिकार क्षेत्र पॉच सौ रूपये से अधिक मूल्य के समस्त दीवानी के मुकदमें में होगा।[* * *][3]

65. [* * *][4]

[**66. न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र की अपवर्जन –** धारा 64 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये न्याय पंचायत को दीवानी के निम्नलिखित मुकदमों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 54 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) साझीदार के कारण देय अवशेष (Balance due) के लिये दीवानी का मुकदमा सिवाय उस दशा के जब पक्षों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा अवशेष संधानित (Struck) कर लिया गया हो ;

(2) कोई दीवानी का मुकदमा, जो इच्छा–पत्र के अभाव की दशा में किसी अंश (Share) या अंश के भाग के लिये हो अथवा इच्छा–पत्र (Intestacy) के अधीन दाय (Legacy) या दाय के भाग के लिये हो;

(3) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी जन–सेवक द्वारा उसके विरूद्ध उन कार्यों के लिये, जो उसने अधिकर की हैसियत (Official Capacity) से किये हों, दीवानी का मुकदमा ;

(4) अवयस्क (Minor) अथवा विकृत मस्तिष्क (Unsound mind) व्यक्ति अथवा उसके विरूद्ध दीवानी का मुकदमा ;

(5) ऐसा दीवानी का मुकदमा, जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट सं0 6 सन् 1920 के अधीन स्थापित किसी पंचायत द्वारा हस्तक्षेप अथवा उत्तर प्रदेश ऋण कम करने का एक्ट (U.P. Debt Redemption Act) सं0 13 सन् 1940 की धारा 25 के अधीन विषिद्ध हो ।][1]

67. दीवानी के मुकदमें में सम्पूर्ण दावा सम्मिलित होगा – (1) प्रत्येक दीवानी में, जो न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित हो, वह सम्पूर्ण दावा सम्मिलित होगा, जिसे वादी को झगड़े के सम्बन्ध में करने का अधिकार हो, किन्तु वह दीवानी के मुकदमे को न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिये अपने दावे के किसी अंश को त्याग सकता है ।

(2) यदि वादी ने [अपने दावे के किसी अंश][2] के लिये मुकदमें को प्रस्तुत किया हो या उसे त्याग दिया हो, तो वह ऐसा [अंश][3] के लिये फिर मुकदमा प्रस्तुत न करेगा ।

68. परिसीमा – अनुसूची में तदर्थ विहित परिसीमा की अवधि (Period of Limitation) के पश्चात् न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित दीवानी का प्रत्येक मुकदमा खारिज कर दिया जायेगा, भले ही परिसीमा का प्रश्न जवाब देही (Defence) के रूप में न उठाया गया हो ।

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दीवानी के किसी मुकदमें में विहित परिसीमा की अवधि की गणना करने में वह समय छोड़ दिया जायेगा, जिसमें वादी प्रतिवादी के विरूद्ध

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 55 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 56 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 56 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किसी न्यायालय में यथाचित (Due) अध्यवसाय (Diligence) से दीवानी के अन्य किसी मुकदमें के अभियोजन (Prosecution) में व्यस्त रहा है यदि वह दूसरा मुकदमा उसी वाद मूल (Cause of Action) पर आधारित हो और सद्भाव से ऐसे न्यायालय में अभियोजन किया हो जो अधिकार क्षेत्र के दोष से अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी कारण से उसे ग्रहण (Entertation) करने में असमर्थ हो।][1]

69. न्याय पंचायत में निर्णय का प्रभाव – (1) आगम (Title) वैधानिक स्वरूप (Legal Character) , संविदा अथवा दायित्व के प्रश्न के सम्बन्ध में, किसी न्याय पंचायत का निर्णय पक्षों पर बंधनकारी नहीं होगा, सिवाय उसी दीवानी के मुकदमें के सम्बन्ध में जिसमें तत्सम्बन्ध निर्णय हुआ हो।

[(2) न्याय पंचाय द्वारा आदेशित कोई दोषसिद्धि तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अनर्हता या शास्ति के रूप में तो प्रवर्ती होगी और न उसका आधार ही होगा।][2]

70. [* * *][3]

71. [* * *][4]

72. [* * *][5]

73. पूर्व निर्णीत विषय तथा विचाराधीन मुकदमा – (1) कोई भी न्याय पंचायत किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में दीवानी के मुकदमें, राजस्व के मुकदमें अथवा वाद–पत्र का परीक्षण न करेगी, जो एक ही पक्षी (Same parties) अथवा ऐसे पक्ष के बीच हो जिनके अधीन वे अथवा उसमें से कोई पक्ष दावा करते हों दीवानी के किसी भूतपूर्व मुकदमें में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णयार्थ विचाराधीन हो अथवा जिसकी सुनवाई की जा चुकी हो अथवा जिसका निर्णय किया जा चुका हो।

(2) यदि किसी अभियुक्त के विरूद्ध किसी अपराध के लिये कोई फौजदारी का मुकदमा संस्थित किया गया हो अथवा यदि अभियुक्त का किसी अपराध के लिये परीक्षण किया गया हो तो कोई न्याय पंचायत ऐसे किसी अपराध अथवा किसी ऐसे अन्य अपराध के

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 57 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 25 द्वारा पुनः संख्यांकित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 58 द्वारा निकाला गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 58 द्वारा निकाला गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 58 द्वारा निकाला गया।

उन्हीं तथ्यों (Same facts) के सम्बन्ध में हस्तक्षेप न करेगी, जिस अपराध के लिये अभियुक्त पर दोषारोपण किया गया हो या वह अभिशप्त (Convict) किया गया होता।

74. समवर्ती अधिकार क्षेत्र – यदि [आपराधिक वाद या सिविल वाद][1] एक से अधिक न्याय पंचायतों में ग्रहणीय है तो [प्रतिवादी या वादी][2] यथास्थिति उस आपराधिक वाद या सिविल वाद को उस न्याय पंचायत में से किसी एक में प्रस्तु कर सकता है। अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी विवाद का, यथास्थिति, अधिकार क्षेत्र युक्त [न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ][3] निर्णय करेंगे।

[74–क. परीक्षण जब किसी सिविल वाद – [* * *][4] के वाद मूल (Cause of Action) एक से अधिक मण्डलों में पैदा हो जाब्ता दीवानी सं0 5 सन् 1908 की धारा **[* * *][5]** सिविल वाद के परीक्षण पर लागू होगी, जो अधिकार क्षेत्र युक्त दो या अधिक न्याय पंचायतों के समक्ष विचाराधीन हो।

74–ख. ऐसी दशा में जब कि यह निश्चित न हो कि अपराध कहॉ हुआ – जब यह अनिश्चित हो कि कई मण्डलों में से किस मण्डल में अपराध किया गया था अथवा जब अपराध अंशतः एक मण्डल में और अंशतः दूसरे मण्डल में किया गया हो अथवा जब अपराध जारी रहे और एक से अधिक मण्डलों में किया जा रहा हो अथवा जब अपराध में कोई ऐसा कार्य समाविष्ट हों, जो विभिन्न मण्डलों में किये गये हों, तो उसकी न्याय पंचायत द्वारा जॉच की जा सकती है, जो उन मण्डलों में से किसी मण्डल में अधिकार क्षेत्र रखती हो।][6]

75. सिविल अथवा आपराधिक वादों का प्रस्तुत किया जाना – (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन [कोई सिविल वाद या आपराधिक वाद][7] न्याय पंचायत के सामने संस्थित (Institute) करना चाहता हो, न्याय पंचायत के सरपंच को [और उनकी अनुपस्थिति में सहायक सरपंच को][8] और मण्डल से [उनकी][9] अनुपस्थिति की दशा में ऐसे अन्य पंच

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 26(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 26(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 26(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 27 द्वारा शब्द "या राजस्व वाद" निकाला गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 27 द्वारा शब्द "या राजस्व वाद तथा" निकाला गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 28(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 61(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 61(1)(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

को,[जिसे सरपंच ने एतदर्थ नियुक्त किया हो][1], मौखिक या लिखित प्रार्थना–पत्र दे सकता है साथ ही वह विहित शुल्क भी अदा करेगा। कोर्ट फीस एक्ट, 1870 न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा सिवाय उस दशा के, जब ऐसा विहित किया जाये। प्रत्येक दीवानी के मुकदमें में वादी उसके मूल्य का उल्लेख करेगा।

[(2) जब कोई वाद **[* * *]**[2] मौखिक रूप से संस्थित किया गया हो, तो प्रार्थना ग्रहण करने वाला सरपंच, सहायक सरपंच अथवा पंच अविलम्ब विहित ब्यौरों को अभिलिखित करेगा और उस प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ चिन्ह ले लेगा।][3]

[**76. प्रार्थना–पत्र का बैंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना –** सरपंच, सहायक सरपंच अथवा उनकी अनुपस्थिति में धारा 75 में उल्लिखित पंच प्रार्थना पत्र को धारा 49 के अधीन संगठित बैंच के समक्ष रखेगा और उक्त बैंच के समक्ष उस प्रार्थना की प्रथम सुनवाई का दिनांक भी निश्चित करेगा तथा उस दिनांक की सूचना, यथास्थिति, प्रार्थी, फरियादी अथवा वादी को और बैंच के सदस्यों को देगा।][4]

[**77. बैंच का सभापति –** बैंच अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति के बैंच के सभापति के पद के लिये चुनेगी, जो कार्यवाही का संचालन करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सरपंच अथवा सहायक सरपंच बैंच का सदस्य हो तो वह और जब उनमें से दोनों एक ही बैंच के सदस्य हों तो सरपंच बैंच का सभापति होगा।][5]

[**77–क. बैंच से सरपंच की अनुपस्थिति –** (1) यदि धारा 49 के अधीन संगठित बैंच में नियुक्त कोई पंच किसी सुनवाई के दिन अनुपस्थित हो, तो शेष पंच अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, [आपराधिक वाद या सिविल वाद][6] का विचारण करेंगेः

प्रतिबन्ध यह है कि कम से कम 3 पंच जिनके अन्तर्गत सभापति भी उपस्थित होगा, उपस्थित हों और यह भी प्रतिबन्ध है कि उपस्थित पंचों में से कम से कम एक पंच साक्ष्य तथा कार्यवाही दर्ज करने की क्षमता रखता हो।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 61(1)(ग) द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 28(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 61(2) द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 62 द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 63 द्वारा बढ़ाया गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) उपर्युक्त कोई भी परीक्षण केवल इस कारण से अमान्य (Invalid) न होगा कि किसी सुनवाई के अवसर पर बैंच के समस्त पांचों सदस्य उपस्थित नहीं थे, अथवा इस कारण से कि वही पंच समस्त सुनवाई के अवसरों पर उपस्थित नहीं थे।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, धारा 63 के अधीन न्याय पंचायत द्वारा की गई जांच पर भी लागू होंगे।][1]

[**78. सम्बन्धित पत्रों की अनुपस्थिति में वादों और मामलों का खारिज किया जाना –** (1) यदि सुनवाई के लिये निश्चित समय के स्थान सूचित किये जाने के बाद भी, यथास्थिति, वादी या परिवादी उपस्थित न हो तो न्याय पंचायत वाद खारिज कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे।][2]

(2) न्याय पंचायत, [यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त की अनुपस्थिति में सिविल वाद या आपराधिक वाद][3] की सुनवाई कर सकता है और उस पर निर्णय दे सकती है, यदि आह्वान (Summon) उस पर तामील हो चुका हो अथवा यदि उसकी सुनवाई के लिये निश्चित समय और स्थान की सूचना दे दी गई हो।

79. न्याय पंचायत अपने निर्णय को पुनरीक्षित अथवा परिवर्तित नहीं करेगी – (1) उपधारा (2) में दी गई व्यवस्था को छोड़कर अथवा लिपिक अशुद्धि (Clerical error) को ठीक करने के अतिरिक्त न्याय पंचायत अपने द्वारा की गई किसी डिग्री या आज्ञा को रद्द करने, पुनरीक्षित करने अथवा परिवर्तित करने का अधिकार न होगा।

(2) न्याय पंचायत पर्याप्त कारणों से जो दर्ज किये जायेंगे, आह्वान की व्यक्तिगत (Personal) रूप से तामील न होने की दशा में डिग्री अथवा आज्ञा अथवा उसकी जानकारी प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर किसी [सिविल वाद या आपराधिक वाद][4] को सम्बद्ध पक्ष की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया हो या जिसमें एक पक्षीय डिग्री या आज्ञा दी गई , पुनः स्थापित (Restore) कर सकती है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 23, 1952 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 30(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 30(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।

[**80. न्याय पंचायत के समक्ष विधि व्यवसायी पैरवी नहीं करेंगे** – कोई विधि व्यवसायी (Legal Practitioner) न्याय पंचायत के समक्ष किसी पक्ष की ओर से उपस्थित न होगा, न बहस करेगा ओर न कोई कार्य करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को, जो बन्द (Arrest) किया गया हो और अभिरक्षा (Custody) में निरूद्ध (Detain) किया गया हो, अपनी पसन्द के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और उसके द्वारा अपनी पैरवी कराने का अधिकार होगा ।][1]

81. व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति होना – धारा 80 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी [सिविल वाद या आपराधिक वाद][2] में कोई पक्ष न्याय पंचायत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा ऐसे सेवक किसी (जो दलाल न हों) साक्षीदार, सम्बन्धी अथवा मित्र द्वारा उपस्थित हो सकता है। जिसे उसने [लिखित रूप में यथावत प्राधिकृत][3] किया हो और जिसे न्याय पंचायत उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये योग्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे।

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रस्तुत किये गये प्राधिकरण पत्र (Power of Attorney) के लिये कोई मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) अदा करने की आवश्यकता न होगी ।][4]

[**82. कुछ मुकदमों के विशेष अधिकार क्षेत्र** – इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी न्याय पंचायत के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विवाद का जो उसके स्थानीय क्षेत्र में उत्पन्न हो और किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो, किसी ऐसे बन्दोबस्त, समझौते अथवा शपथ के अनुसार निर्णय करे जिस पर पक्षों न लिखित रूप में अपनी सहमती दी हो ।][5]

[**83. सच्चाई का पता लगाने के लिये प्रक्रिया और अधिकार** – [(1)][6] न्याय पंचायत [सिविल वाद या आपराधिक वाद][7] में ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करेगी जिसे पक्ष प्रस्तुत करें और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकती है जो उसके विचार में विवाद के तथ्यों को निर्धारित करने

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 65 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 66(1) द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 66(2) द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 37 द्वारा बढ़ाया गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

के लिये आवश्यक हों। न्याय पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक विधिपूर्ण उपाय से जो उसके अधिकार में हो, अपने समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक [सिविल वाद या आपराधिक वाद][1] के तथ्यों का पता लगाये और तद्नुसार व्यय सहित या रहित ऐसी डिग्री या आज्ञा दे जो उसे न्यायोचित और वैध प्रतीत हो। न्याय पंचायत [क्षेत्र][2] में जिससे विवाद सम्बन्धित हो, स्थानीय रूप से जॉच कर सकती है। वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी सिवाय उस दशा के जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है अथवा जो विहित की जाये। न्याय पंचायत में [सिविल वाद या आपराधिक वाद][3] जाब्ता दीवानी एक्ट संख्या 5 सन् 1908 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता [1973][4] कानून शहादत एक्ट संख्या 3 सन् 1872 अथवा [परिसीमा अधिनियम, 1963][5] लागे होंगे।

[(2) इसे उपधारा की कोई बात किसी पक्ष को यह अधिकार नहीं देगी कि वह ऐसे अपराध (Offence) में अभिसंधान (Compound) करे, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता [1973][6] के उपबन्धों के अधीन अभिसंदेय न हो अथवा किसी अपराध में सम्मिलित बैंच की अनुमति के बिना अभिसंधान करे यदि वह उक्त कोड के उपबन्धों के अधीन अनुमति लेकर अभिसंदय हो।][7]

[(3) जहॉ न्याय पंचायत की राय में, कोई पक्ष मामले के निस्तारण में जान बूझ कर विलम्ब करता है,वहॉ ऐसे पक्ष पर पांच रूपये से अनधिक का खर्च आरोपित कर सकती है जो दूसरे पक्ष को देय होगा।][8]

84. बहुमत मान्य होगा – पंचों में मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय मान्य होगी।

[85. न्याय पंचायत से मुकदमों का स्थानान्तरित करने का उच्च न्यायालय का अधिकार – (1) किसी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर और पक्षों की नोटिस देने के पश्चात् तथा उनमें से ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् जो अपनी सुनवाई कराना चाहता हो, अथवा बिना

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(4) द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 68(2) द्वारा बढ़ाया गया।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

ऐसे नोटिस के स्वतः [न्यायिक मजिस्ट्रेट, या मुन्सिफ][1] न्याय पंचायत के सामने विचाराधीन क्रमशः [आपराधिक वाद या सिविल वाद][2] को किसी भी प्रक्रम (Stage) पर वापिस ले सकता है, तथा –

(i) उसे निस्तारित करने का प्रयत्न कर सकता है ; या

(ii) उसे न्याय पंचायत की किसी अन्य बैंच को स्थानान्तरित कर सकता है ; या

(iii) उसे निरीक्षण अथवा निस्तारण के लिये किसी अन्य [मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ][3] के पास जो उसका परीक्षण या निस्तारण करने के लिये सक्षम हो, स्थानान्तरित कर सकता है।

[(2) कोई आपराधिक या सिविल वाद उपधारा (1) के अन्तर्गत वापस ले लिया गया हो, वहॉ वह न्यायालय, जो तत्पश्चात् उसका विचारण करे, या तो उसका पुनरीक्षण कर सकता है या उस प्रक्रम से विचारण कर सकता है, जहॉ से उसे वापस ले लिया गया था।][4]

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना पत्र तुच्छ अथवा उद्धेगकार हो, तो यथास्थिति [न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ][5] प्रार्थी को 50/– तक का अर्थदण्ड दे सकता है।][6]

86. साक्षियों के लिये आह्वान का जारी किया जाना – यदि न्याय पंचायत किसी, [सिविल वाद या आपराधिक वाद][7] में किसी व्यक्ति का साक्ष्य अथवा उसके द्वारा किसी लेख का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझे तो वह उस व्यक्ति को अनिवार्यतः होने या ऐसा लेख प्रस्तुत करने या उसके प्रस्तुत कराने के लिये उस व्यक्ति के नाम एक आह्वान जारी कर सकती है और उस व्यक्ति पर विहित रीति से उसकी तामील करा सकती है तथा वह व्यक्ति आह्वान में वर्णित निदेशी का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

87. न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित न होने के लिये शास्ति – यदि कोई व्यक्ति, जिससे न्याय पंचायत लिखित आज्ञा द्वारा साक्ष्य देने या अपने समक्ष कोई लेख प्रस्तुत करने के निमित्त उपस्थित होने के लिये आहूत (Summoned) करे जानबूझ कर ऐसा आह्वान अथवा नोटिस अथवा आज्ञा की अवज्ञा करे तो न्याय पंचायत अधिकार क्षेत्र युक्त

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 34(क)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(क)(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 33(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 69 द्वारा बढ़ाया गया।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।

मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकती है और उस व्यक्ति को अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा जो 25/– रू0 तक हो सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी महिला को न्याय पंचायत के सामने स्वयं उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। उसकी साक्षी विहित रीति से कमीशन द्वारा की जा सकती है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि इस धारा के अधीन जारी किये गये आह्वान के अनुपालन में कोई लेख प्रस्तुत किया जाये तो न्याय पंचायत उस लेख की प्रतिलिपि तैयार करायेगी। प्रतिलिपि को मूल प्रतिलिपि से मिलान करने के पश्चात उस पर यह चिन्हित करेगी कि वह प्रमाणित प्रतिलिपि है और मूल लेख को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटा देगी।

[और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब न्याय पंचायत को यह प्रतीत हो कि साक्षी बीमारी या शारीरिक अशक्तता के कारण उसके सम्मुख उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा यह कि वह बिना अनुचित विलम्ब अथवा असुविधा के उपस्थित नहीं हो सकता तो न्याय पंचायत ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुये, जो विहित किये जायें, उस साक्षी का साक्ष्य लेने के लिये विहित रीति से एक कमीशन जारी कर सकती है। इस प्रकार लिया गया साक्ष्य मुकदमें के अभिलेख का एक भाग होगा।][1]

88. सिविल वादों आदि का खारिज किया जाना – न्याय पंचायत किसी सिविल वाद **[* * *]**[2] को खारिज कर सकती है यदि वादी अथवा प्रार्थी की परीक्षा करने के बाद उसक यह समाधान हो जाये कि सिविल वाद **[* * *]**[3] तुच्छ, उद्वेगकारी अथवा असत्य है।

89. पुनरीक्षण (निगरानी) – (1) [न्यायिक मजिस्ट्रेट, या मुन्सिफ][4] क्रमशः [आपराधिक वाद या सिविल वाद][5] में या तो स्वतः अथवा किसी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर, जो इस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो, अथवा उस दशा में जब प्रार्थी पर आह्वान को व्यक्तिगत रूप से तामील न की गई हो, तो आज्ञा की जानकारी होने के दिनांक से 60 दिन के भीतर दिया गया हो, किसी ऐसे मुकदमें के अभिलेख को मंगा सकता है जिसका न्याय पंचायत ने निर्णय किया हो और यदि उसे यह प्रतीत हो कि अन्याय हुआ है अथवा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 70 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 36 द्वारा निकाला गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 36 द्वारा निकाला गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 37(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 37(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

सारवान (Material) अनियमितता हुई है तो वह मुकदमें में ऐसी आज्ञा दे सकता है, कि जिसे वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण – विधि द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न करना अथवा विधि द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र से अधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना इस धारा के लिये सारवान अनियमितता समझी जायेगी।

(2) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति [न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ][1] –

(क) न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिग्री या आज्ञा को खण्डित कर सकता है ;

(ख) आज्ञा का परिष्कार (Modification) कर सकता है ;

(ग) ऐसे निर्देश के साथ जिसे वह ठीक समझे, मुकदमें को न्याय पंचायत के पास पुनः परीक्षण करने के लिये लौटा सकता है ;

(घ) मुकदमे का स्वयं निरीक्षण कर सकता है अथवा उसे किसी ऐसे न्यायालय अथवा पदाधिकारी को स्थानान्तरित कर सकता है, जो उसका परीक्षण करने के लिये सक्षम हो।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र, यथास्थिति, [न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ][2] द्वारा तुच्छ या उद्वेगकारी पाया जाये, तो वह आज्ञा दे सकता है कि प्रार्थी विपक्षी को प्रतिकर के रूप में पचास रूपये से अनधिक विशेष व्यय अदा करे और ऐसी आज्ञा देने के जो कारण होंगे उन्हें वह अभिलिखित करेगा।

(4) सिवाय उस दशा के, जो ऊपर बताई गई है, किसी [सिविल वाद या आपराधिक वाद][3] में न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिग्री अथवा आज्ञा की किसी न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण न हो सकेगी।][4]

[(5) धारा 15 में किसी बात के होते हुये भी, जहॉ कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में यह निष्कर्ष देता है कि न्याय पंचायत के किसी पंच/पंचों ने (जिसके अन्तर्गत कोई सरपंच भी है) उक्त मामले के सम्बन्ध में, जिसके कारण पुनरीक्षण करना पड़ा हो, ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो उसके या उनके पद

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 37(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 37(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 37(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित।

के लिये अनुचित है, वहॉ नियत प्राधिकारी ऐसे निष्कर्ष के आधर पर ऐसे पंच या पंचो को हटा सकता है और यह आवश्यक न होगा कि प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध उसे या उन्हें कारण बताने का कोई अवसर दिया जाये ।][1]

90. प्रतिवादी अथवा अभियुक्त को आह्वान – धारा 75 के अधीन प्रार्थना–पत्र दिये जाने के पश्चात् न्याय पंचायत, जब तक प्रार्थना–पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन खारिज या अन्य प्रकार से निस्तारित न किया गया हो विहित प्रपत्र में विहित रीति से प्रतिवादी अथवा अभियुक्त **[* * *]**[2] ऐसे समय और स्थान पर, जो आह्वान में उल्लिखित हो, उपस्थित होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये आह्वान तामील करवा सकता है और साथ ही वादी **[* * *]**[3] को उक्त समय और स्थान पर उपस्थित होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देगी ।

91. [* * *][4]

92. डिक्री का भुगतान अथवा संधान का दर्ज किया जाना – यदि डिक्रीदार अथवा वाद ऋणि (Judgement debtor) के प्रार्थना–पत्र देने पर न्याय पंचायत को जिसने डिक्री दी हो, जॉच के पश्चात यह पता चले कि डिक्री का पूर्णतया अथवा अंशतया भुगतान हो चुका हो तो वह इस तथ्य को विहित रजिस्टर में दर्ज करेगी ।

[**93. डिक्री का निष्पादन –** (1) न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिक्री या आज्ञा द्वारा उस रीति से निष्पादित की जायेगी, जो विहित की जाये । यदि प्रतिवादी [* * *][5] की सम्पत्ति उस न्याय पंचायत के जिसने आज्ञा दी है, अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है, तो वह विहित रीति से डिक्री अथवा आज्ञा को उस न्याय पंचायत को निष्पादन करने के लिये स्थानान्तरित कर देगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सम्पत्ति स्थित हो और यदि वहॉ न्याय पंचायत न हो, तो यथास्थिति [उस मुन्सिफ][6] के न्यायालय को स्थानान्तरित कर देगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित हो ।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 37(घ) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 38 द्वारा निकाला गया ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 38 द्वारा निकाला गया ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 72 द्वारा निकाला गया ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 39(क)(1) द्वारा निकाला गया ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 39(क)(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि न्याय पंचायत को किसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो वह उसे [मुन्सिफ][1] को भेज देगी और वह उसका उसी प्रकार निष्पादन करेगा माने वह उसको ही दी हुई डिक्री या आज्ञा है।][2]

94. अर्थदण्ड की वसूली – [धारा 61 में न्याय पंचायत द्वारा आरोपित अर्थदण्ड या प्रतिकर जिसके भुगतान की आज्ञा दी गयी हो][3] [विहित][4] रीति से वसूल किया जा सकेगा किन्तु यदि न्याय पंचायत को उसकी वसूली में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो वह उस [न्यायिक मजिस्ट्रेट][5] के जिसके अधिकार क्षेत्र में न्याय पंचायत स्थित हो उसे वसूल करने की प्रार्थना कर सकती है और वह उसे उसी प्रकार वसूल करेगी मानो अर्थदण्ड का आदेश उसी के द्वारा दिया गया है।

[**94–क. न्याय पंचायत का अपमान (Contempt) –** (1) यदि कोई व्यक्ति किसी न्याय पंचायत या उसके किसी सदस्य का जब कि न्याय पंचायत की बैठक हो रही हो, न्याय सम्बन्धी कार्यवाही के किसी भी चरण (Stage) में उसकी दृष्टि अथवा उपस्थिति में जान–बूझकर अपमान करे अथवा विधिवत् दिलाई जाने वाली शपथ लेने से अथवा अपने द्वारा दिये गये बयान पर हस्ताक्षर करने से, जबकि उससे ऐसा करने की वैध रूप से अपेक्षा की जाये, इन्कार करे तो न्याय पंचायत उसी दिन अपना कार्य बन्द करने से पहले से किसी भी समय उस अपराध में हस्तक्षेप कर सकती है तथा अपराधी व्यक्ति को अर्थदण्ड दे सकते है, जो [दस रूपये][6] से अधिक न होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड धारा 94 के प्रयोजनों के लिये फौजदारी मुकदमे आरोपित अर्थदण्ड समझा जायेगा।][7]

अध्याय 7

वाह्य नियन्त्रण

95. निरीक्षण – [(1)][8] राज्य सरकार –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 39(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 74(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 74(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 75 द्वारा बढ़ाया गया।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76 के उपखण्ड द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) ऐसी [1][अचल सम्पत्ति का जो किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में हों और जो उसके] अथवा संयुक्त समिति अथवा [न्याय पंचायत][2] द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित में हो अथवा संयुक्त समिति अथवा न्याय पंचायत के निर्देशन में किये जा रहे किसी निर्माण कार्य का परीक्षण करा सकती है ;

(ख) ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति का [न्याय पंचायत][3] के कब्जे या नियन्त्रण में स्थित किसी बही अथवा लेख को लिखित आज्ञा द्वारा मांग सकती है और उसकी निरीक्षण कर सकती है;

(ग) ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति का [न्याय पंचायत][4] की लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे विवरण प्रतिवेदन अथवा लेखों की प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत करने को कह सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और जो उस ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति या न्याय पंचायत की कार्यवाही तथा कर्तव्यों से सम्बन्ध रखती हो;

(घ) ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति के विचार के लिये ऐसा पर्यवेक्षण (Observation) लिखित रूप में दर्ज कर सकती है जिसे वह उस ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति की कार्यवाही अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में उचित समझे ;

(ङ) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत से सम्बन्धित किसी मामले में कोई जॉच संस्थित करा सकती है ;

(च) किसी ग्राम सभा **[* * *]**[5] , ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति, [भूमि प्रबन्धक समिति][6] अथवा न्याय पंचायत को **[* * *]**[7] की भंग कर सकती है यदि राज्य सरकार की राय में उस **[* * *]**[8] ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति, [भूमि प्रबन्धक समिति][9] अथवा न्याय पंचायत ने अपने पद का दुरूपयोग किया हो या वह इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 74(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा शब्द "गांव सभा" निकाला गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 76(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा "निलम्बित, अधिक्रान्त अथवा" निकाला गया।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा "निलम्बित, अधिक्रान्त अथवा" निकाला गया।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

अधीन अपने पर आरोपित कर्तव्यों के सम्पादन में लगातार सफल रही हो अथवा जनहित में इसका बना रहना वांछनीय न समझा जाये ।][1]

स्पष्टीकरण – [* * *][2]

[(छ) [3][ग्राम पंचायत के प्रधान, [* * *][4] या उसके किसी सदस्य को] या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को [* * *][5] अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच को हटा सकती है, यदि –][6]

(i) वह बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित रहे ;

(ii) वह कार्य करने से इंकार करे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिये अक्षम हो जाये अथवा यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो,

(iii) उसने इस रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपिज कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की हो अथवा उसका इस रूप में बना रहना जनहित में वांछनीय न हो ; [* * *][7]

[(iv) वह न्याय पंचायत का सहायक या सरपंच होने से राजनीति में सक्रिय भाग लेता हो][8]; [या][9]

[(v) उसमें धारा 5–क के खण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित अनर्हताओं में से काई अनर्हता हो :][10]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76(3) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा स्पष्टीकरण निकाला गया ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी) ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा शब्द "गांव सभा के किसी पदाधिकारी को" निकाला गया ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 13(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 5(1) द्वारा निकाला गया ।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76 की उपधारा (4) द्वारा बढ़ाया गया ।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 5(1)(2) द्वारा बढ़ाया गया ।

[10] उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 5(1)(3) द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ कोई प्रधान [2][* * *] ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, की गयी किसी जॉच में प्रथम दृष्ट्या वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाये वहॉ ऐसा प्रधान [3][* * *] वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाये ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।]

(छछ) **[* * *]**[4]

[प्रतिबन्ध यह है कि –

(i) खण्ड (च) [या खण्ड (छ)][5] के अधीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ;

(ii) [* * *][6]

(2) इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) और (4) के अधीन हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी पद पर पॉच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि के लिये जैसा कि राज्य सरकार किसी मामले में आदेश दे, पुनः नियुक्त किये जाने का हकदार न होगा।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

[7][(3–क) उसने किसी मिथ्या घोषणापत्र, जिसे उसके द्वारा यह अभिव्यक्त करते हुये कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा निकाला गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा निकाला गया।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1998 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया (5–5–1998 से प्रभावी)।

हस्ताक्षरित किया गया हो, के आधार पर यथास्थिति, धारा 11–क की उपधारा (2) या धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो]

(4) यदि कोई **[* * *]**[1] [ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समिति][2] [विघटित][3] की जाये तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे ।][4]

(ज) **[* * *]**[5]

[**95–क. राज्य सरकार की शक्ति –** (1) यदि किसी समय भी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने इस अधिनियम के अथवा किसी अन्य विधायन द्वारा या अधीन आरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है तो राज्य सरकार लिखित आज्ञा द्वारा उस कार्य का पालन करने के लिये कोई अवधि निश्चित कर सकती है ।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित की गई अवधि के भीतर उस कर्तव्य का पालन न किया जाये तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को, जो निर्दिष्ट किया जाये, उसे पालन करने का निर्देश दे सकती है और यह भी निर्देश दे सकती है कि कर्तव्य पालन का व्यय यदि कोई हो, ग्राम निधि से दिया जायेगा और तद्नुसार वह व्यक्ति जिसको अभिरक्षा में यह निधि हो,ऐसी निधि में से उक्त धनराशि अदा करेगा ।][6]

96. कुछ कार्यवाहियों के प्रतिषेध – (1) विहित प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, सूचना प्राप्त होने पर अथवा स्वतः लिखित रूप में यह आज्ञा दे सकता है कि ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या उसका कोई पदाधिकारी या सेवक इस अधिनियम अथवा किसी अन्य विधायक के अधीन पारित संकल्प या दी गई आज्ञा को निष्पादित न करेगा या उसका और अधिक निष्पादन न करेगा, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प अथवा आज्ञा इस प्रकार की हो, जिससे जनता को या विधिपूर्ण तथा नियोजित किसी वर्ग या समुदाय के व्यक्तियों को अवरोध (Obstruction) , क्लेश (Anoyance) अथवा क्षति पहुँचे अथवा जिससे मनुष्यों के जीवन, उनके स्वास्थ्य या

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 46 द्वारा शब्द "गॉव सभा" निकाला गया ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76(5) द्वारा बढ़ाया गया ।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 द्वारा निकाला गया ।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 6, 1952 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।

उनकी सुरक्षा के लिये संकट उपस्थित हो या होने की सम्भावना हो अथवा बलवा या हंगामा हो या होने की सम्भावना हो, वह यह भी आज्ञा दे सकता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त संकल्प या आज्ञा के अनुसार अथवा उसकी आड़ में कोई भी कार्य नहीं करेगा अथवा उसे जारी न रखेगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आशा दी जाये, तो उसकी एक प्रतिलिपि आज्ञा के कारणों के विवरण सहित विहित प्राधिकारी अथवा उक्त पदाधिकारी द्वारा तुरन्त राज्य सरकार के पास अग्रसारित (Forwarded) की जायेगी, जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति अथवा उसके पदाधिकारी अथवा सेवक से स्पष्टीकरण मांगन और इसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात उस आज्ञा को रद्द, परिमार्जित (Modify) अथवा पुष्ट करेगी।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन दी गई आशा द्वारा किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन या और अधिक निष्पादन प्रतिबद्ध (Prohibited) किये जाये और यह आज्ञा प्रचलित हो, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति अथवा उसके अधिकारी या सेवक का यदि उक्त आज्ञा देने वाला प्राधिकारी ऐसा आदेश दे, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे, जो वह उस दशा में करने का अधिकारी होता, यदि उक्त संकल्प या आज्ञा कभी न दी गई होती या पारित न की गई होती और जो किसी व्यक्ति की उस संकल्प अथवा आज्ञा की आड़ में जिसके और अधिक निष्पादन का प्रतिषध किया गया है किसी कार्य को करने से या लगातार करते रहने से रोकने के लिये आवश्यक हो।

[**96—क. राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिविधायन** (Delegation) — राज्य सरकार ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें लगाना वह ठीक समझे, इस अधिनियम के अधीन अपने समस्त या कोई भी अधिकार किसी अधीनस्थ पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रतिनिधानित (Delegate) कर सकती है।][1]

अध्याय 8

शास्तियॉ तथा प्रक्रिया

97. इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये शास्ति (Penalty) — यदि कोई व्यक्ति [इस अधिनियम की धारा 12 खगक या धारा खगग के उपबन्धों के सिवाय किसी भी उपबन्ध का भी उल्लंघन करेगा][2] तो वह जब तक कि अन्यथा विहित न हो, अर्थदण्ड

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1950 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (1—4—1995 से प्रभावी)।

का भागी होगा, [पॉच सौ रूपये][1] तक हो सकता है और अब उल्लंघन जारी रहे तो वह अतिरिक्त अर्थदण्ड का भागी होगा, प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिने के लिये जिससे अपराधी द्वारा अपराध का जारी रखा जाना प्रमाणित हुआ हो, [पचास रूपये][2] तक हो सकता है।

[3][**97–क. अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये दण्डित –** जहॉ कोई व्यक्ति धारा 12–खगक या धारा 12–खगग के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।]

98. नियमों और उपविधियों का उल्लंघन – नियम बनाने में राज्य सरकार और उपविधि बनाने में ग्राम पंचायत [विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से][4] निर्देश दे सकती है कि उसके उल्लंघन के लिये अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो [पॉच सौ रूपये][5] तक हो सकता है और जब उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के बाद बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी द्वारा अपराध को जारी रखा जाना प्रमाणित हो, [पचास रूपये][6] तक हो सकता है।

99. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति को बिगाड़ने के लिये शास्ति – (1) यदि कोई व्यक्ति किसी खड़ंजा (Pavement), गौरी (Gutter) अथवा सार्वजनिक सड़की की अन्य सामग्री अथवा उसकी किसी चहारदीवारी (Fence) , दीवार अथवा खम्भे को अथवा बत्ती के खम्भे (Lamp post) या ब्रेकेट, निदेश स्तम्भ (Direction post), खड़े होने का अड्डा (Stand Post), पानी के बम्बे (Hydrant) अथवा [ग्राम पंचायत की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को उसकी][7] स्वीकृति अथवा अन्य विधिपूर्ण अधिकार के बिना हटायेगा, विस्थापित करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन करेगा अथवा अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करेगा, तो उसे अर्थदण्ड दिया जा सकेगा , जो [एक हजार रूपये][8] तक हो सकता है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया (1–4–1995 से प्रभावी)।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1955 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी काम में उपेक्षा (Neglect) अथवा चूक के कारण उपधारा (1) द्वारा आरोपित शास्ति ग्रहण की है और उससे [ग्राम पंचायत][1] की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँचाई है, तो वह व्यक्ति जिसने ऐसी शास्ति ग्रहण की है, ऐसी क्षति को पूरा करने और साथ ही शास्ति की धनराशि अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा और उक्त क्षति अपराधी से विहित रीति से वसूल की जा सकती है।

100. जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा – यदि इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस दिया गया हो जिसमें उसे किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह चल हो या अचल सरकार या निजी कोई निर्माण कार्य सम्पन्न करने अथवा करने से विरत रहने का आदेश दिया गया हो और वह व्यक्ति नोटिस का पालन न करे तो –

(क) ग्राम पंचायत उक्त निर्माण को सम्पन्न करा सकती है या उस काम की व्यवस्था करा सकती है अथवा उसे पूरा कर सकती है और अपने द्वारा उस पर किये गये समस्त व्यय को उक्त व्यक्ति से विहित रीति से [मालगुजारी की बकाया के रूप में][2] वसूल कर सकती है ;

(ख) [न्याय पंचायत][3] के समाने दोषसिद्ध होने पर ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो [पॉच सौ रूपये][4] तक हो सकता है और जब उल्लंघन जारी रहे तो वह अतिरिक्त अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी द्वारा अपराध का जारी रखा जाना प्रमाणित हुआ हो, [पचास रूपये][5] तक हो सकता है।

101. नोटिस का अमान्य न होना – कोई नोटिस इस कारण अमान्य (Invalid) न होगा कि उसके आकार में कोई दोष है या उसमें कोई बात छूट गई है।

102. अपील – (1) ग्राम पंचायत द्वारा इस अधिनियम अथवा किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन दी गई किसी आज्ञा अथवा निर्देश के क्षुब्ध (Aggrieved) कोई व्यक्ति ऐसी आज्ञा अथवा निर्देश के दिनांक से 30 दिन के भीतर जब तक कि अन्यथा विहित न किया गया हो, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आपेक्षित समय को छोड़कर विहित प्राधिकारी के

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 78(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 78(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित।

पास अपील करेगा, जो उक्त आज्ञा या निर्देश को परिवर्तित , रद्द अथवा पुष्ट कर सकता है और अपील करने को या उसके विरूद्ध व्यय को दिलवा सकता है।

(2) यदि विहित प्राधिकारी उचित समझे तो वह उपधारा (1) में अपील के अनुज्ञात (Allowed) अवधि को बढ़ा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय, में आपत्ति नहीं की जायेगी।

103. कुल मामलों में अभियोजन का निलम्बन – जब धारा 102 में किसी आज्ञा अथवा निर्देशन के विरूद्ध कोई अपील की गई तो ऐसी आज्ञा या निर्देश को प्रवर्तित करने के लिये कोई कार्यवाही और उसके भंग करने के लिये कोई अभियोजन (Prosecution) विहित प्राधिकारी की आज्ञा से, तब तक के लिये निलम्बित (Suspend) किया जा सकता है जब तक कि अपील का निर्णय न हो जाये और यदि अपील में वह आज्ञा या निर्देश रद्द कर दिया जाये तो उसकी अवज्ञा अपराध नहीं समझी जायेगी।

104. अपराधों के अभिसंधान का अधिकार – (1) इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुये ग्राम पंचायत किसी फौजदारी के मुकदमे में संस्थित (Instituted) किये जाने से पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये अपराध का, ग्राम पंचायत को नकद ऐसी धनराशि देने के पश्चात् जो विहित की जाये, अभिसंधान (Compound) कर सकती है।

(2) यदि किसी अपराध का अभिसंधान किया गया हो तो अपराधी, यदि वह अभिरक्षा (Custody) में हो, मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार अभिसंधानित अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

इस धारा के अन्तर्गत संसाधन (Compounding) के रूप में भुगतान की गई समस्त धनराशि [ग्राम निधि][1] में जमा कर दी जायेगी।

105. प्रवेश तथा निरीक्षण – ग्राम पंचायत का [प्रधान][2] और यदि ग्राम पंचायत द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तो ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य पदाधिकारी अथवा सेवक किसी भवन या भूमि में, सहायकों और कर्मचारियों के सहित या रहित ऐसे निर्माण कार्य के निरीक्षण, परिमाप (Survey) अथवा सम्पादन के लिये प्रवेश कर सकता है, जिसे करने या सम्पादन करने के लिये इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित।

उपविधियों के अधीन ग्राम पंचायत प्राधिकृत की गई हो अथवा जिसे करना या सम्पादित करना किसी प्रयोजन के लिये या इस अधिनियम, नियमों अथवा उपबन्धों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये आवश्यक हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) उस दशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम अथवा नियमों या उपविधियों में अन्यथा कोई स्पष्ट व्यवस्था की गई हो ऐसा कोई प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में न किया जायेगा।

(ख) उस दशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम अथवा नियमों या उपविधियों में अन्यथा कोई स्पष्ट व्यवस्था की गई हो किसी भवन में जो मनुष्यों के निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता है, बिना उसके अध्यासी की सहमति के और बिना उक्त अध्यासी का ऐसा प्रवेश करने के अभिप्राय का 4 घंटे से अन्यून (Not less than) का लिखित नोटिस दिये हुये इस प्रकार प्रवेश न किया जायेगा, और

(ग) प्रत्येक मामले में पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा उस दशा में भी जब किसी भूगृहादि (Premises) में अन्यथा बिना नोटिस के प्रवेश किया जा सकता हो, जिससे उस कमरे की जो स्त्रियों के रहने के लिये प्रयुक्त होता हो, महिलाएं वहॉ से हटकर भूगृहादि (Premises) के ऐसे भाग में चली जायें जहॉ उनके एकान्त में कोई बाधा न पहुँचे।

(घ) उस भूगृहादि के जिसमें प्रवेश किया जायेगा, अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदैव उचित ध्यान रखा जायेगा।

[**106. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उनके पदाधिकारियों अथवा न्याय पंचायत के पदाधिकारियों व सेवकों के विरूद्ध वाद –** (1) भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा या [ग्राम पंचायत] के विरूद्ध अथवा उनके सदस्यों के विरूद्ध अथवा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत के पदाधिकारी अथवा सेवक][1] के विरूद्ध अथवा किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जो इनमें से किन्हीं निकायों (Bodies) अथवा व्यक्तियों के निर्देश के अधीन कार्य करता हो, किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अधिनियम के अधीन अधिकारी की हैसियत से किया हो या जो उसके द्वारा इस प्रकार किया गया अभिप्रेत हो, कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही तब तक संस्थित न की जायेगी जब तक कि लिखित नोटिस ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की दशा में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्यालय में तामील किये जाने या वहॉ छोड़ दिये जाने और सदस्य, पदाधिकारी अथवा सेवक अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उसके निर्देशन अथवा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा न्याय

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

पंचायत के निर्देशन में कार्य कर रहा हो, उसे दिये जाने अथवा उसके कार्यालय या निवास गृह पर छोड़ दिये जाने के बाद 2 मास न बीत गये हों। ऐसे नोटिस में स्पष्ट रूप से वाद मूल (Cause of Action) अपेक्षित उपशयों (Reliefs) का प्रकार, अभियाचिका (Claimed) प्रतिकर की धनराशि , यदि कोई हो, और इच्छुक वादी का नाम तथा उसके निवास गृह का पता दिया जायेगा और वाद–पत्र में इस आशय का उल्लेख होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दे दिया गया है या छोड़ दिया गया है।][1]

(2) कोई ऐसी कार्यवाही, जो उपधारा (1) में वर्णित है, वाद मूल प्रोद्भूत (Accrual) होने के 6 महीने के पश्चात् आरम्भ की जायेगी।

107. ग्राम सभा तथा न्याय पंचायत का संरक्षण – (1) जुडिशियल आफीसर्स प्रोटेक्शन एक्ट संख्या 27 सन् 1850 के उपबन्ध न्याय पंचायत के सदस्यों पर प्रयुक्त होंगे।

(2) किसी न्यायालय में ग्राम पंचायत अथवा उसके किीस सदस्य या पदाधिकारियों अथवा उसके निर्देशन में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन सद्भावना में की गई अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्यवाही के लिये दीवानी का मुकदमा अथवा अभियोजन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

[**107–क. कार्यवाहियों की वैधता –** इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी समिति का कार्य करने का अधिकार होगा भले ही उसके किसी सदस्यता में कोई रिक्ति हो अथवा उसके किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता हुई हो [और किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत][2] अथवा समिति की कोई भी कार्यवाही मान्य होगी, भले ही किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता हुई हो अथवा कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का अधिकारी नहीं था उक्त कार्यवाही के समय बैठक में उपस्थित रहा हो उसने मतदान किया हो अथवा अन्य प्रकार से उसमें भाग लिया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्य किये जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से कम से कम दो तिहाई व्यक्ति सदस्य होने के लिये अनर्ह न हो।][3]

108. अपराधों तथा पंचायतों को सहायता देने व अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार और कर्तव्य – पुलिस का प्रत्येक पदाधिकारी (ग्राम पंचायत) को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये किसी भी अपराध की जिसकी कि

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 54 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 82 द्वारा बढ़ाया गया।

उसे जानकारी हो जाये तत्काल सूचना देगा और ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत के समस्त सदस्यों तथा सेवकों को उनके विधिपूर्ण अधिकार में सहायता देगा।

109. न्याय पंचायतों, ग्राम पंचायतों व नगरपालिका आदि के बीच झगड़ा – यदि किसी [न्याय पंचायत के अधिकार–क्षेत्र के सम्बन्ध में अथवा][1] दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच अथवा ग्राम पंचायत और टाउन एरिया अथवा नगरपालिका अथवा जिला पंचायत के बीच विवाद पैदा हो तो वह विहित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

[2][**109–क. अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग –** (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी –

(क) ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख उसके सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे ;

(ख) सचिव, आवेदन करने पर और ऐसी फीस के भुगतान करने पर जैसी नियम की जाये, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अभिलेख की प्रति देगा और उसे अपने हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मुहर से सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा।

(2) ग्राम पंचायत के किसी अभिलेख की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति को अभिलेख के आस्तित्व के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा जहॉ प्रत्येक वाद में उसमें अभिलिखित विषयों के साक्ष्य के रूप में उस सीमा तक ग्रहण किया जायेगा जहॉ और जिस सीमा तक मूल अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया जाता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राहय होता।]

अध्याय 9

नियम, उपविधियॉ तथा निरसन (Repeal)

110. राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार – [3][(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करन के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।]

(2) विशेषतया पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 83 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1999 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 14(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) कोई विषय, जिसके लिये व्यवस्था करने की निमित्त कोई अधिकार स्पष्टतः अथवा विवक्षित रूप (Implication) में राज्य सरकार को प्रदान किया गया हो ;

[1][(2) ग्राम सभा अथवा न्याय पंचायत की स्थापना या ग्राम सभा का संगठन ;]

[2][(2–क) [3][* * *] उपप्रधान के लिये अर्हतायें ;]

[4][(2–ख) ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के मण्डलों में परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी आस्तियों (Assest) और दायित्वों का वितरण ;]

[5][(2–ग) धारा 2–ग के अधीन निर्वाचन याचिकाओं और पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और उनका विस्तारण ;]

[6][(2–घ) प्रधान, [7][* * *] ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच द्वारा शपथ ग्रहण ;]

[8][(2–ङ) प्रधान, [9][* * *] ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच का त्याग पत्र देना ;]

[10][(2–च) सामान्य निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों का आयोजन ;]

[11][(2–छ) न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति के रूप में ;]

[12][(2–ज) ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के पदाधिकारियों की छुट्टी मंजूर करना ;]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 15(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] शब्द "उप प्रधान" उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2(20–8–2007 से प्रभावी) द्वारा निकाला गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 43(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2(20–8–2007 से प्रभावी) द्वारा निकाला गया।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

[10] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[11] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित (22–4–1994 से प्रभावी)।

[12] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[1][(2–झ) प्रधान [2][* * *] की किसी कारण से अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन करना ;]

(3) ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों की बैठकों का समय और स्थाना तथा बैठक बुलाने और उनकी सूचना देने की रीति ;

(4) कार्यवाहियों का संचालन जिसके अन्तर्गत सदस्यों द्वारा बैठकों में प्रश्न पूछना, बैठकों का स्थगन और बैठकों की कार्य विवरण पुस्तक भी है ;

(5) समितियों का स्थापित किया जाना और इन समितियों का संगठन और प्रक्रिया से सम्बद्ध सभी विषय ;

(6) पदाधिकारियों का निलम्बन (Suspension) तथा उनका हटाया जाना ;

(7) अभिलेख और रजिस्टर जिन्हें [ग्राम पंचायत][3] और न्याय पंचायत रखेगी तथा प्रपत्र जिसमें वे रखें जायेंगे ;

[4][(7–क) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के रजिस्टरों का नियत कालिक (Periodical) पुनरीक्षण तथा संशोधन ;]

(8) कार्यवाही जो कार्यपालिका समिति (Executive Committee), संयुक्त समिति, किसी अन्य समिति अथवा न्याय पंचायत में कोई स्थान रिक्त होने पर की जायेगी ;

(9) प्राधिकारी, जिसके द्वारा कार्यपालिका समिति संयुक्त समिति, अन्य समिति अथवा न्याय पंचायत में नियुक्तियों से सम्बद्ध विवादों का निर्णय किया जा सकता है तथा उसमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(10) ग्राम पंचायत [अथवा न्याय पंचायत][5] से ऐसे सेवक द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रकार जिससे प्रतिभूति (Security) मांगना इष्टकर समझा जाये;

[(11) ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के सेवकों की नियुक्ति अर्हतायें, निरीक्षण, पदच्युति, सेवा मुक्ति (Discharge), हटाया जाना अथवा अन्य दण्ड अथवा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ग) द्वारा बढ़ाया गया।

उनकी सेवा छुट्टी स्थानान्तरण वेतन तथा विशेषाधिकारों से सम्बद्ध अन्य विषय और उनके अपील के अधिकार ;][1]

(12) ग्राम पंचायत [तथा न्याय पंचायत][2] के सेवकों के लिये भविष्य निधि (प्रोविडेंट फण्ड) का प्रबन्ध और विनियम ; यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य निधि की प्रणाली अपनाई जाये;

(13) प्राइमरी स्कूलों की स्थापना, उनका संधारण और प्रबन्ध तथा उनके भवनों का निर्माण और मरम्मत ;

(14) किसी संयुक्त समिति को सौंपे गये पुस्तकालयों, वाचनालयों, औषधालयों की स्थापना, प्रशासन और नियन्त्रण और उनके संसक्त (Connected) भवनों का निर्माण और मरम्मत तथा [पंचायत क्षेत्र][3] के निर्धन निवासियों को औषधि और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाना ;

(15) किसी भूमि, भूगृहादि अथवा जल पर उत्पन्न जल वनस्पति, [घास तृणादि अथवा अन्य जंगली उपज][4] का पता लगाना, उसे हटाना और नष्ट करना, उसकी बाढ़ रोकने के लिये मेड़ों और रोकों का बनान और ऐसे निर्माण कार्य में होने वाला व्यय;

(16) सफाई, मल वाहन (Conservance) जल निस्तारण, भवनों सार्वजनिक सड़कों तथा जल सम्भरण के सम्बन्ध में कार्यवाही और लोक अपदूषण (Public Nuisance) का प्रतिषेध ;

[(16–क) धारा 15, 16 तथा 17 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के कृत्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन ;][5]

(17) आय तथा व्यय का वार्षिक अनुमान (Estimate) का तैयार करना तथा निधि [को][6] निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये पृथक करना ;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(घ) द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ङ) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 56 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(च) द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(छ) द्वारा बढ़ाया गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ज) द्वारा बढ़ाया गया।

(18) ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों तथा प्रपत्र, जिनमें प्राधिकारी जिनके पास और समय जब वे प्रस्तुत की जायेंगी ;

(19) कर और अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शुल्कों का लगाना प्राधिकारी जिसके द्वारा और रीति जिसके अनुसार कर निर्धारित किये जा सकते हैं और प्राधिकारी जिसके पास कर निर्धारण के विरूद्ध अपील की जा सकती है ;

[(19–क) ग्राम पंचायत द्वारा राज्य के आदेशों और आदेयों की वसूली और उसके लिये दिये जाने वाला पारिश्रमिक (Remuneration);][1]

(20) कर तथा आदेशों के भुगतान की पद्धति और समय वसूली की प्रक्रिया और प्राधिकारी जिसकी सहायता ग्राम पंचायतों द्वारा करों तथा आदेयों की वसूली में ली जा सकती है ;

(21) ग्राम पंचायतों [और न्याय पंचायतों][2] द्वारा लेखा रखने की पद्धति ;

(22) सार्वजनिक भवनों और नजूल की भूमि का रख–रखाव ;

(23) किसी सम्पत्ति को स्थानान्तरित करते समय पालन की जाने वाली औपचारिकतायें (Formalities) और वह रीति जिसमें संविदा लेख ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित किया जायेगा ;

(24) लेखा परीक्षकों, निरीक्षण तथा अधीक्षण करने वाले प्राधिकारियों के अधिकार, साक्षियों को बुलाना और परीक्षा करना, व्यक्तियों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना और लेखा परीक्षा निरीक्षण तथा अधीक्षण से सम्बद्ध अन्य समस्त विषय ;

(25) न्याय पंचायत के आह्वानों, नोटिस तथा अन्य आदेशिकाओं को जारी किया जाना, उनकी तामीली तथा समपादन और ग्राम पंचायतों द्वारा नोटिस का जारी किया जाना तथा उसकी तामील ;

[3][(25–क) साक्षियों की परीक्षा के कमीशन का जारी किया जाना ;]

[4][(25–ख) यदि सरपंच मुकदमें ग्रहण करने से इन्कार करे तो उनका संस्थित किया जाना;]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(झ) द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ञ) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ट) द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ठ) द्वारा बढ़ाया गया।

(26) आह्वानों तथा अन्य आदेशिकाओं को तामील या सम्पादन के लिये न्याय पंचायत द्वारा उनमें किसी अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना ;

(27) वादों तथा मुकदमों के संस्थित किये जाने, आदेशिकायें जारी किये जाने, लेख्यों की प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने तथा अन्य विषयों के लिये न्याय पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क ;

(28) उस दशा में देय न्याय शुल्क तथा अन्य शुल्क जब न्याय पंचायत पक्षों की सम्मति से, दीवानी का ऐसी मुकदमा ग्रहण करे जो अन्यथा उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो ;

(29) न्याय पंचायत द्वारा पारित डिक्रियों, आज्ञाओं और दण्डादेशों के सम्पादन की प्रक्रिया ;

(30) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के सम्पादन के लिये न्याय पंचायत को ग्राम पंचायतों द्वारा धनराशि प्रदिष्ट करना तथा सीमा जिस तक ग्राम पंचायत न्याय पंचायत को दिये गये शुल्कों का विनियोग (Appropriation) कर सकती है ;

(31) अधिकार जो जिला परिषद अथवा किसी विहित प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दायित्वों को पूरा करने में प्रयोग में लाये जा सकते हैं और रीति जिससे ऐसे अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है ;

(32) विहित प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के लिये या ग्राम पंचायतों द्वारा उपविधियां बनाने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(33) सामान्यता या इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी विषय से सम्बद्ध प्रपत्रों तथा रजिस्टरों का विहित किया जाना और उनका मुद्रण ;

(34) योजनाओं, नक्शों, विशेष कारणों तथा अनुमानों का अनुमोदनार्थ (Approval) प्रस्तुत किया जाना ;

(35) ग्राम स्वयं सेवक दल के कर्तव्य, अधिकार और कृत्य ;

(36) ग्राम पंचायत तथा [न्याय पंचायतों][1] द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन (Report) का प्रस्तुत किया जाना और उनका पुनर्विलोकन (Review) ;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ड) द्वारा बढ़ाया गया।

(37) ग्राम पंचायत के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, जो ग्राम पंचायतों की बैठकों में परामर्श दाता के रूप में उपस्थित हो सकते हों ;

(38) ग्राम पंचायत तथा अन्य अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार की प्रणाली ;

(39) [[ग्राम सभाओं अथवा ग्राम पंचायतों][1] अथवा न्याय पंचायतों][2] के भंग हो जाने पर उनकी आस्तियों और दायित्वों का विस्तारण ;

(40) किसी ग्राम पंचायत का समस्त स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग का किसी [3][नगर] पालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टुन्मेन्ट सम्मिलित कर लिये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही और वह रीति जिससे ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत की आस्तियों और दायित्वों का निस्तारण किया जा सकता है ;

(41) शर्तें जिनके अधीन ग्राम पंचायत को देय धनराशियॉ वसूल न हो सकने के कारण बट्टे खाते में डाली जा सकती है और शर्तें जिनके अधीन सम्पूर्ण शुल्क अथवा उसके किसी भाग की छूट दी जा सकती है और सामान्यतः ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों, संयुक्त समितियों, अन्य समितियों, सरकार के सेवकों और प्राधिकारियों को किसी ऐसे विषय में पथ प्रदर्शन के लिये प्रक्रिया जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता हो।

[4][(42) अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का विनियमन ;]

[5][(43) ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी सेवकों को ऐसे विषय में दी जाने वाली सहायता जिसका प्रभाव सामान्य प्रशासन पर पड़ता हो ;]

[6][(44) सहायक सरपंच और [7][* * *] के अधिकार और कर्तव्य ;]

[8][(45) ग्राम पंचायत द्वारा ऋण लेना तथा देना ;]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 56 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ण) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 43(ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(त) द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(त) द्वारा बढ़ाया गया।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(त) द्वारा बढ़ाया गया।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[8] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(त) द्वारा बढ़ाया गया।

[1][(46) विषय जो विहित किये जाने वाले हों और विहित किये जायें; और]

[2][(47) कोई विषय, जिसके सम्बन्ध में धारा 111 में विहित प्राधिकारी को ग्राम पंचायतों के लिये उपविधि बनाने का अधिकारी प्रदान किया गया हो ।]

(3) **[* * *]**[3]

111. उपविधियां बनाने के सम्बन्ध में जिला पंचायतों के अधिकार — विहित प्राधिकारी को अधिकार होगा और जब राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो उसके लिये आवश्यक होगा कि वह ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि और संधारण (Maintaining) तथा इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायतों के प्रशासन को आगे बढ़ने के लिये अपने अधिकार क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायत के लिये इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बनाये।

112. उपविधियां बनाने का ग्राम पंचायतों का अधिकार — (1) इस उपनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विहित प्राधिकारी द्वारा बनाई गई उपविधियॉ, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये, ग्राम पंचायत निम्नलिखित के निमित्त उपविधियॉ बना सकती है —

(क) पीने के प्रयोजन के लिये किसी ऐसे स्त्रोत से पानी ले जाने अथवा उनके प्रयोग का प्रतिषध करना जिससे स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो और किसी ऐसे कार्य को करने का प्रतिषेध करना जिससे पानी पीने के स्त्रोत के दूषित होने की सम्भावना हो।

(ख) किसी नाली अथवा भू—गृहादि के किसी सार्वजनिक सड़क अथवा नदी, पोखरे, तालाब, कुऍ अथवा किसी स्थान पर पानी के उत्सर्जन का प्रतिषेध या विनियमन करना।

(ग) सार्वजनिक तथा ग्राम पंचायत की सम्पत्ति को क्षति से बचाना।

(घ) ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में सफाई मल वाहन तथा जल निस्तरण का विनियमन।

(ङ) दुकानदारी अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग अथवा सार्वजनिक सड़कों पर तहबाजारी की वसूली का प्रतिषेध या विनियमन करना।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(त) द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(त) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 56 द्वारा निकाला गया।

(च) इस रीति का विनियमन करना, जिसमें तालाब, पोखरे, नलकूप, चारागाह, खेल के मैदान, खाद के गड्ढे , मृतकों के निस्तारण के लिये भूमि तथा नहाने के स्थान संधारित किये जायेंगे तथा प्रयुक्त होंगे।

[(छ) [ग्राम पंचायत][1] के ऐसे अन्य कर्तव्यों अथवा कृत्यों का विनियमन करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये हों।][2]

(2) ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई उपविधियों का पांडुलेख विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा। उसके सम्बन्ध में प्राप्त किसी आपत्ति पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार किया जायेगा और तब उपविधियॉ, प्राप्त आपत्तियॉ, यदि कोई हो, और उन किये गये निर्णयों के साथ विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उपविधियॉ जिस रूप में वे विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की गई हो, विहित प्रकार से प्रकाशित किये जाने के बाद, प्रचलित होगी [;][3]

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार इस प्रकार स्वीकृत किन्ही भी उपविधियों को किसी भी समय रद्द या परिष्कृत (Modify) कर सकती है।][4]

113. निरसन तथा संक्रमण कालीन उपबंध – (1) **[* * *]**[5]

[6][(2) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किसी नियम, विनियम, उपविधि, परिनियत संलेख या सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों, में "ग्राम सभा" या "ग्राम पंचायत" के प्रति किसी निर्देश को "ग्राम पंचायत" के प्रति निर्देश समझा जायेगा।]

114. कतिपय दशाओं में आकस्मिक रिक्तियों का न भरा जाना – (1) यदि इस अधिनियम के अधीन संगठित किसी निकाय में किसी सदस्य अथवा अन्य पदाधिकारी की मृत्यु, पद त्याग, हटाये जाने अथवा उसका निर्वाचन रद्द होने के कारण रिक्ति हुई हो तथा ऐसे सदसय अथवा अन्य पदाधिकारी का कार्यकाल सामान्य दशाओं में ऐसी रिक्ति होने के 6 मास के

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 86(4) द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 86(2) द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 86(2) द्वारा बढ़ाया गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 12 द्वारा निकाला गया (22–4–1994 से प्रभावी)।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 58 द्वारा बढ़ाया गया।

भीतर समाप्त हो जाता हो, तो विहित प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियिम के अधीन आगामी सामान्य निर्वाचन होने तक उस रिक्ति को न भरा जाये।][1]

[2][(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये निर्देश के कारण [3][प्रधान के पद में रिक्ति] बिना भरे रह जाये तो प्रधान के निर्वाचित होने तक प्रधान के कृत्यों के निर्वहन के लिये नियत प्राधिकारी आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जो वह ठीक समझे।]

[4][**115. कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार –** (1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को ओर से–

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहॉ कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले ग्राम सभा में निहित थी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, यथास्थिति, ग्राम पंचायत में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगे ; तथा

(ख) पूर्वोक्त ग्राम सभा के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुये हों, या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, यथास्थिति, उस ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व और आधार हो जायेंगे।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत में निहित हो गई है या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आधार ग्राम पंचायत का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद, राज्य सरकार को नियत रीति से निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाए, अन्तिम होगा।

116. देय धनराशियॉ सक्षम होगी या पंचायत विधि सभा करने या – किसी ग्राम सभा को देय समस्त धनराशियॉ चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में, ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की जायेगी और ग्राम पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में ग्राम प्रारम्भ करने की अधिकारी होती।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 87 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 6, 1969 की धारा 9 द्वारा पुनः संख्यांकित तथा अन्तर्विष्ट।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित (20–8–2007 से प्रभावी)।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 59 द्वारा बढ़ाया गया।

117. ऋण, आभार, संविदाएं तथा विचाराधीन कार्यवाहियॉ के प्रवर्तन में – (1) किसी ग्राम सभा द्वारा या उसकी ओर से धारा 115 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गई सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, ग्राम पंचायत द्वारा हुये अथवा किये गये और तद्नुसार बने रहेंगे।

(2) उक्त ग्राम सभा के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियॉ, जिनका इस अधिनियम में उपबन्धों के अधीन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उनके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, ग्राम पंचायत को सवंमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियॉ भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगीं, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती है।

(3) उक्त ग्राम सभा के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथाव्यवहार्य, इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उसके प्रारम्भ किये जाने के समय ग्राम पंचायत विद्यमान थी।

(4) उक्त ग्राम सभा द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त ग्राम सभा द्वारा या उसके विरूद्ध या उक्त ग्राम सभा के लिये अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियॉ जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रहेगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय ग्राम पंचायत संगठित की जा चुकी हो।

118. ग्राम पंचायतों के संगठन तक के लिये व्यवस्था – इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, [उक्त अधिनियम द्वारा यथाा संशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार][1] ग्राम पंचायतों के संगठन तक की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत और उसके प्रधान, [2][* * *] और सदस्य क्रमशः ग्राम पंचायत और उसके प्रधान, [3][* * *] और सदस्यों के

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित (22–4–1994 से प्रभावी)।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

अधिकारों का प्रयोग कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान, [1][* * *] और सदस्य समझे जायेंगे।

119. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अवेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ में दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) कि अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समझ रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

अनुसूची

(धारा 68 देखिये)

क्र0सं0	सिविल वादों का विवरण	परिसीमा अवधि	समय जब से अवधि प्रारम्भ होती है
	1	**2**	**3**
1.	जब धनराशि के लिये जो संविदा के कारण देय हो	3 वर्ष	जब धनराशि वादो को देय हो जाये
2.	चल सम्पत्ति अथवा उसके मूल्य की वसूली के लिये	3 वर्ष	जब चल सम्पत्ति की प्राप्ति का अधिकार वादी को प्राप्त हो
3.	किसी चल सम्पत्ति को दोष पूर्णतया होने या क्षति पहुँचाने के लिये प्रतिकर के लिये नालिश	3 वर्ष	जब जल सम्पत्ति दोष पूर्णतया ली गई हो अथवा जब उसे क्षति पहुँचाई गई हो
4.	पशुओं के अनाधिकार प्रवेश के फलस्वरूप हुई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति	6 वर्ष	जब से पशुओं के अनाधिकार प्रवेश के कारण क्षति पहुँचाई हो